शासकीय उपयोग हेतु

अनुसंधान प्रतिवेदन क्रं. - 11

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

:: निर्देशन ::

शम्मी आबिदी IAS

:: मार्गदर्शन ::

एल. चौहान

:: क्षेत्रकार्य एवं प्रतिवेदन ::

ईश्वर साहू

आनंद सिंह परमार

निर्मल कुमार

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर (छ.ग.)

शासकीय उपयोग हेतु

अनुसंधान प्रतिवेदन क्रं. - 11

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

:: निर्देशन ::
शम्मी आबिदी IAS

:: मार्गदर्शन ::
एल. चौहान

:: क्षेत्रकार्य एवं प्रतिवेदन ::
ईश्वर साहू
आनंद सिंह परमार
निर्मल कुमार

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर (छ.ग.)

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	**पृष्ठभूमि**	**1—12**
	1.1 प्रस्तावना	
	1.2 अध्ययन का उद्देश्य	
	1.3 अध्ययन प्रविधि	
	1.4 ग्राम चयन	
	1.5 चयनित ग्रामों में जनसंख्या	
	1.6 चयनित ग्रामों में शैक्षणिक स्थिति	
	1.7 उत्पत्ति संबंधी अवधारणाएँ	
	1.8 बोली	
	1.9 बैगा जनजाति का छ.ग. में वितरण	
2	**भौतिक संस्कृति**	**13—22**
	2.1 ग्राम बसाहट	
	2.2 आवास	
	2.3 आवास निर्माण हेतु स्थल चयन विधि	
	2.4 आवास प्रकार एवं निर्माण विधि	
	2.5 पशु गृह	
	2.6 घरेलु उपकरण	
3	**आर्थिक—जीवन**	**23—31**
	3.1 खाद्य संग्रहण	
	3.2 वनोपज संकलन	
	3.3 कृषि	

3	3.4 मजदूरी	
	3.5 मतस्याखेट	
	3.6 शिकार	
	3.7 आय एवं व्यय का विवरण	
	3.8 ऋण ग्रस्तता की स्थिति	
4	**धार्मिक–जीवन**	**32–44**
	4.1 प्रमुख देवी–देवता	
	4.2 प्रमुख त्यौहार	
5	**जीवन–संस्कार**	**45–49**
	5.1 विवाह–संस्कार	
	5.2 जन्म–संस्कार	
	5.3 मृत्यु–संस्कार	
6	**सामाजिक संरचना**	**50–54**
	6.1 जाति	
	6.2 गोत्र	
	6.3 नातेदारी	
	6.4 परिवार	
	6.5 परिहार संबंध	
	6.6 परिहास संबंध	
7	**राजनैतिक–जीवन**	**55–56**
	7.1 परम्परागत जाति पंचायत	
	7.2 आधुनिक ग्राम पंचायत में भूमिका	
8	**लोक–परम्पराएँ**	**57–63**
	8.1 नृत्य परिधान	
	8.2 वाद्ययंत्र	
	8.3 प्रमुख लोक गीत एवं लोक नृत्य	

अध्याय – एक
पृष्ठभूमि

1.1 प्रस्तावना

मानव संस्कृति की आदि अवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाली मानव समाज को आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। भारत के आदिवासी, आज भी ग्रामीण एवं शहरी सभ्यता से दूर घने जंगलों, पहाड़ियों, घाटियों तथा तटीय क्षेत्रों में अपने संस्कृति जीवित रखे हुए हैं। ये आदिवासी अपनी विशिष्ट जीवनशैली एवं आकर्षक सांस्कृतिक मूल्यों, रीति–रिवाजों व परम्पराओं को संजोये हुए हैं।

छततीसगढ़ राज्य का गठन पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य को विभाजित कर 01 नवम्बर, 2000 को किया गया। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का 30.62 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों का है। भारत सरकार द्वारा पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के लिए जारी अनुसूचित जनजाति की सूची 1950 (संशोधन 1976) छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी जारी किया गया जिसमें 42 जनजाति एवं समूह को सूचीबद्ध किया गया है।

भारत सरकार द्वारा आदिवासी विकास की दशा एवं दिशा की समीक्षा उपरांत आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से अत्यंत पिछड़े 75 जनजाति समूहों को आदिम जनजाति समूह (PTG- Primitive Tribal Groups) के रूप में चिन्हित किया गया। वर्तमान में PTG का नाम परिवर्तन कर PVTGs (Perticularly Vulnarable Tribal Groups) कहा जाता है। इन समूहों के विकास हेतु राज्य सरकारों को विशेश अभिकरण गठित करने का सुझाव दिया गया है। भारत सरकार द्वारा चिन्हित इन आदिम जनजातियों में से 5 आदिम जनजातियाँ छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत हैं, जिनके नाम अबूझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं बैगा है। इनके समग्र विकास के लिए राज्य में 05 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण एवं 09 विकास प्रकोष्ठ गठित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन पश्चात् राज्य सरकार द्वारा भुंजिया एवं पंडो अनुसूचित जनजाति को उनके घटते जन्म दर एवं पिछड़ेपन के कारण राज्य विशेष पिछड़ी जनजाति मान्य करते हुए उनके विकास के लिए भी क्रमशः भुंजिया विकास अभिकरण एवं पंडो विकास अभिकरण का गठन किया गया है।

1.2 अध्ययन का उद्देश्य

अनुसूचित जनजाति बैगा भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए चिन्हित पाँच

आदिम जनजातियों में से एक है जिनका आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर (छ. ग.) द्वारा मानव शास्त्रीय अध्ययन कराया गया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इनकी सामाजिक, आर्थिक, एवं शैक्षणिक स्थिति ज्ञात करना एवं उनके जीवन संस्कार, रीति–रिवाज, लोक–गीत, लोक परम्पराओं आदि का अध्ययन कर अभिलेखित किया जाना है।

1.3 अध्ययन प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम एवं राजनांदगांव जिला में बैगा निवासरत ग्रामों में किया गया है। अध्ययन हेतु ग्रामों का चयन लॉटरी पद्धति से किया गया है। चयनित ग्रामों में परिवार अनुसूची, समूह साक्षात्कार, अर्द्धसहभागी अवलोकन एवं छायाचित्र द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया है। द्वितीयक तथ्यों के संकलन हेतु प्रकाशित पुस्तकें, जनगणना प्रतिवेदन तथा शासकीय प्रतिवेदनों का उपयोग किया गया है। तत्पश्चात प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण एवं सारणीयन कर प्रतिवेदन लेखन का कार्य किया गया है।

1.4 ग्राम चयन

प्रस्तुत मानव शास्त्रीय अध्ययन हेतु ग्रामों का चयन निम्नानुसार किया गया –

क्र.	जिला	विकासखण्ड	बैगा ग्रामों की कुल संख्या	15 से कम परिवार वाले बैगा ग्रामों की संख्या	15 से अधिक परिवार वाले बैगा ग्रामों की संख्या (4–5)	अध्ययन हेतु सारणी क्र. 06 की संख्या में लाटरी पद्धति द्वारा 10 प्रतिशत चयनित ग्रामों की संख्या	चयन उपरांत ग्रामों में कुल परिवार संख्या	सर्वेक्षित ग्रामों में कुल परिवारों का 25 प्रतिशत सर्वेक्षण हेतु परिवार संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	कबीरधाम	बोड़ला	185	51	134	13.4 (13)	402	100
		पण्डरिया	78	13	65	6.5 (7)	240	59
योग			**263**	**64**	**199**	**20**	**642**	**159**
2	राजनांदगांव	छुईखदान	39	13	26	2.6 (3)	93	23
योग			**39**	**13**	**26**	**3**	**93**	**23**
महायोग			**302**	**77**	**225**	**23**	**735**	**182**

उपरोक्तानुसार अध्ययन हेतु निम्नांकित मापदण्ड तैयार किये गये हैं –

1. मानवशास्त्रीय अध्ययन हेतु कबीरधाम एवं राजनांदगांव जिले के विकासखण्डवार कुल बैगा निवासित ग्रामों में से ऐसे ग्रामों की सूची तैयार की गई जिसमें कम से कम 15 परिवार या उससे अधिक बैगा परिवार निवासरत हैं। क्योंकि मानवशास्त्रीय अध्ययन हेतु समूह साक्षात्कार लिया जाना था। उक्त ग्रामों में से विकासखण्डवार 10 प्रतिशत ग्रामों का चयन लाटरी पद्धति से किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामों के चयन में निष्पक्षता बरतना है।

2. चयनित 10 प्रतिशत ग्रामों में निवासरत कुल बैगा परिवारों के 25 प्रतिशत परिवारों की अनुसूची के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आवास, विद्युतीकरण आदि की स्थिति की जानकारी ली गयी।

इस प्रकार कबीरधाम एवं राजनांदगांव जिले के विकासखण्डवार कुल 302 ग्रामों में से 77 ग्राम ऐसे पाये गये जिनमें 15 या 15 से कम बैगा परिवार निवासरत हैं। 15 या 15 से अधिक बैगा परिवार निवासरत ग्रामों की संख्या 225 है। उक्त ग्रामों में से लाटरी पद्धति द्वारा 23 ग्रामों (10 प्रतिशत) का चयन किया गया। उक्त चयनित ग्रामों में कुल 735 परिवार निवासरत हैं जिसका 25 प्रतिशत के मापदण्ड के आधार पर बैगा जनजाति के मानवशास्त्रीय अध्ययन हेतु 182 परिवारों की अनुसूची में आर्थिक, शैक्षणिक, आवास आदि की जानकारी के साथ समूह साक्षात्कार के माध्यम से आवश्यक जानकारी संकलित किया गया है।

विकासखण्डवार चयनित ग्राम निम्नानुसार है :–

जिले का नाम	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	चयनित ग्राम का नाम	चयनिम ग्रामों की कुल परिवार संख्या	सर्वेक्षित ग्रामों में कुल परिवारों का 25 प्रतिशत अध्ययन हेतु परिवार संख्या
1	2	3	4	5	6
कबीरधाम	बोडला	केशमर्दा	मुण्डादादर	28	7
		पीपरखुटा	हड़ही	37	9
		भुरसीपकरी	भुरसीपकरी	81	20
		दलदली	बम्हनतरा	25	6
		चेन्द्रादादर	धनवाही	29	7
		लरबक्की	लरबक्की	24	6
		तरेगांव (जंगल)	तरेगांव (जंगल)	23	6
		भीरा	अगरी	15	4
		राजाढार	जामपानी	33	8
		चिल्फी	सरोधादादर	51	13
		बैरख	बंजारी	17	04
		चौरा	थवरझोल	22	06
		बांधा	केसदा	17	04
योग				**402**	**100**
कबीरधाम	पण्डरिया	भेलकी	अधचरा	61	15
		लेदरातेलीयापानी	पकरीपानी	32	08
		विचारपुर	टोकटईया	37	09
		चतरी	विचारपुर	28	07
		चतरी	चतरी	21	05
		मुनमुना	सगौना	44	11
		गांगपुर	गांगपुर	17	04
योग				**240**	**59**
राजनांदगांव	छुईखदान	सरईपतेरा	लालपुर	39	10
		देवपुराघाट	ढोलपट्टा	37	09
		दरबानटोला	खर्रा	17	04
योग				**93**	**23**
महायोग				**735**	**182**

1.5 चयनित ग्रामों में जनसंख्या

उक्त अध्ययन हेतु लाटरी पद्धति से कबीरधाम जिले के बोडला विकासखण्ड अंतर्गत 13 ग्रामों में 100 परिवार एवं पण्डरिया विकसखण्ड अंतर्गत 07 ग्रामों में 59 परिवार कुल 20 ग्रामों में 159 परिवार एवं राजनांदगांव जिले के छुईखदान विकाखण्ड अंतर्गत 3 ग्रामों में 23 परिवार का चयन किया गया। अर्थात् उक्त दोनों जिलों में कुल 23 ग्रामों में 182 बैगा परिवारों का चयन किया गया जिनकी जनसंख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है :—

1.5.1 सर्वेक्षित बैगा जनजाति परिवारों की जिला, विकासखण्ड एवं ग्रामवार जनसंख्या

उपरोक्तानुसार कबीरधाम एवं राजनांदगांव जिले के कुल 23 ग्रामों के 182 बैगा जनजाति परिवारों का जिला, विकासखण्ड एवं ग्रामवार जनसंख्या निम्न तालिका में दर्शित है।

तालिका क्रमांक

सर्वेक्षित बैगा जनजाति परिवारों की जिला विकासखण्ड एवं ग्रामवार संख्या

जिला	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	परिवार संख्या	परिवार सदस्य संख्या		
					पुरूष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
कबीरधाम	बोड़ला	केशमर्दा	मुण्डादादर	7	14	13	27
		पीपरखुंटा	हड़ही	9	23	14	37
		भुरसीपकरी	भुरसीपकरी	20	38	30	68
		दलदली	बम्हनतरा	6	16	13	29
		चेन्द्रादादर	धनवाही	7	9	14	23
		लरबक्की	लरबक्की	6	11	11	22
		तरेगांव (जं)	तरेगांव (जं)	6	9	12	21
		भीरा	छिन्दहा	4	8	10	18
		राजाढ़ार	जामपानी	8	20	17	37
		चिल्फी	सरोधादादर	13	29	23	52
		बैरख	बंजारी	4	8	6	14
		चौरा	थंवरझोल	6	12	7	19
		बांधा	केसदा	4	6	5	11
	पण्डरिया	भेलकी	अधचरा	15	18	41	59
		माठपुर	माठपुर (चिताडबरी)	8	19	19	38
		विचारपुर	टकटोईया	9	19	17	36
		चतरी	चतरी	5	11	5	16
		मुनमुना	सगौना	11	17	14	31
		विचारपुर	विचारपुर	7	10	10	20
		गांगपुर	गांगपुर	4	7	7	14
राजनांदगांव	छुईखदान	सरईपतेरा	लालपुर	10	19	16	35
		देवपुरघा	ढोपपिट्टा	9	15	12	27
		दरबानटोला	खर्रा	4	8	8	16
योग				**182**	**346**	**324**	**670**
पुरूष – महिला प्रतिशत					**51.64**	**48.36**	**100.00**

बैगा जनजाति परिवारों की जिला कबीरधाम एवं राजनांदगांव के 23 ग्रामों के 182 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, सर्वेक्षित परिवारों की कुल जनसंख्या 670 है। जिसमें से 346 पुरूष (51.64 प्रतिशत) तथा 324 महिला (48.36 प्रतिशत) है, परिवार का औसत आकार 3.68 प्रतिशत है। परिवार का औसत आकार कम पाये जाने का मुख्य कारण एकल परिवार का होना है।

1.5.2 सर्वेक्षित बैगा जनजाति में उम्र समूह अनुसार जनसंख्या

उक्त अध्ययन कबीरधाम एवं राजनांदगांव जिले के 23 ग्रामों के 182 बैगा परिवार में किया गया जिसकी कुल जनसंख्या 670 है जिसमें 346 पुरूष एवं 324 महिला है जिनका उम्र समूह अनुसार विवरण निम्न तालिका में दर्शित है।

तालिका क्रमांक

सर्वेक्षित बैगा जनजाति में उम्र समूह अनुसार जनसंख्या

क्र.	आयु समूह	संख्या					
		पुरूष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0—6	45	13.00	62	19.14	107	15.97
2	7—14	77	22.25	58	17.91	135	20.15
3	15—19	34	9.83	25	7.72	59	8.81
4	20—24	31	8.96	35	10.81	66	9.85
5	25—29	39	11.27	44	13.58	83	12.39
6	30—34	33	9.54	26	8.03	59	8.81
7	35—39	20	5.78	8	2.47	28	4.18
8	40—44	14	4.05	19	5.86	33	4.93
9	45—49	20	5.78	18	5.55	38	5.67
10	50—54	12	3.47	11	3.39	23	3.43
11	55—59	10	2.89	5	1.54	15	2.24
12	60—64	3	0.86	4	1.23	7	1.04
13	65—69	5	1.45	4	1.23	9	1.34
14	70 से अधिक	3	0.87	5	1.54	8	1.19
योग		**346**	**100.00**	**324**	**100.00**	**670**	**100.00**

सर्वेक्षित बैगा जनजाति परिवारों में 6 वर्ष आयु वर्ग से व्यक्तियों की संख्या 107 (15.97 प्रतिशत), 7–14 आयु वर्ग में 135 (20.15 प्रतिशत), 15–19 आयु वर्ग में 59 (8.81 प्रतिशत), 20–24 आयु वर्ग में 66 (9.85 प्रतिशत), 25–29 आयु वर्ग में 83 (12.39 प्रतिशत), 30–34 आयु वर्ग में 59 (8.81 प्रतिशत), 35–39 आयु वर्ग में 28 (4.18 प्रतिशत), 40–44 आयु वर्ग में 33 (4.93 प्रतिशत), 45–49 आयु वर्ग में 38 (5. 67 प्रतिशत), 50–54 आयु वर्ग में 23 (3. 43 प्रतिशत), 55–59 आयु वर्ग में 15 (2.24 प्रतिशत), 60–64 आयु वर्ग में 7 (1.04 प्रतिशत), 65–69 आयु वर्ग में 9 (1.34 प्रतिशत) एवं 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति (1.19 प्रतिशत) है।

1.6 चयनित ग्रामों में शैक्षणिक स्थिति

छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत बैगा जनजाति की शैक्षणिक स्थिति कई जनजाति समुदाय से कम है। निम्न साक्षरता दर, आर्थिक पिछड़ेपन जैसे महत्वपूर्ण कारणों के आधार पर बैगा जनजाति को भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। अतः चयनित ग्रामों में परिवार अनुसूची के द्वारा सर्वेक्षित बैगा परिवारों की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन किया गया है जिसमें इनकी शैक्षणिक स्थिति निम्नानुसार है :–

1.6.1 साक्षरता

सर्वेक्षित कुल 23 ग्रामों के 182 बैगा परिवारों साक्षरता निम्न तालिका में दर्शित है :–

क्र.	श्रेणी	पुरुष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	साक्षर	246	71.10	161	49.69	407	60.75
2	निरक्षर	100	28.90	163	50.31	263	39.25
योग		**346**	**100.00**	**324**	**100.00**	**670**	**100.00**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित जनसंख्या में से 71.10 प्रतिशत पुरूष एवं 49. 69 प्रतिशत महिला साक्षर है। वहीं पुरूष एवं महिला का संयुक्त रूप से 60.75 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है।

1.6.2 शौक्षणिक स्थिति का विवरण

सर्वेक्षित बैगा परिवारों में कुल साक्षर व्यक्तियों में शैक्षणिक स्थिति का विवरण निम्न तालिका में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक

सर्वेक्षित बैगा जनजाति में शैक्षणिक स्थिति का विवरण

क्र.	शौक्षणिक स्थिति	व्यक्ति					
		पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अध्ययन जारी	96	39.02	81	50.31	177	43.48
2	अध्ययन समाप्त	150	60.98	80	49.69	230	56.52
योग		**246**	**100.00**	**161**	**100.00**	**407**	**100.00**

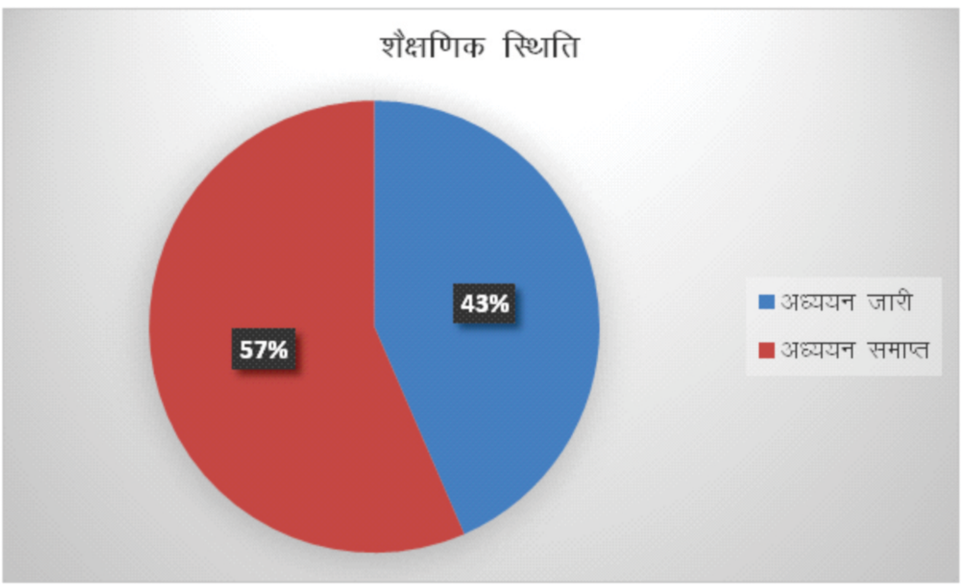

सर्वेक्षित बैगा जनजाति में साक्षर व्यक्तियों में से 177 व्यक्ति (43.48 प्रतिशत) अध्ययन जारी एवं 230 व्यक्ति (56.52 प्रतिशत) अध्ययन समाप्त कर चुके हैं। कुल साक्षर व्यक्तियों में अध्ययन समाप्त कर चुके व्यक्तियों का प्रतिशत अधिक है।

1.6.3 अध्ययन जारी व्यक्तियों में शिक्षा का स्तर

सर्वेक्षित बैगा परिवारों में अध्ययन जारी रखे हुए व्यक्तियों में शिक्षा का स्तर निम्न तालिका में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक

सर्वेक्षित बैगा जनजाति के व्यक्तियों का शैक्षणिक स्तर (अध्ययन जारी)

क्र.	शिक्षा का स्तर	व्यक्ति					
		पुरूष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	आंगनबाड़ी	13	13.54	15	18.52	28	15.82
2	प्राथमिक शाला	56	58.33	51	62.96	107	60.45
3	पूर्व माध्यमिक शाला	21	21.88	10	12.35	31	17.52
4	हाई स्कूल	6	6.25	4	4.94	10	5.65
5	हायर सेकण्डरी स्कूल	—	—	1	1.23	1	0.56
6	स्नातक	—	—	—	—	—	—
7	स्नातकोत्तर	—	—	—	—	—	—
8	तकनीकी	—	—	—	—	—	—
योग		**96**	**100.00**	**81**	**100.00**	**177**	**100.00**

सर्वेक्षित बैगा जनजाति में कुल साक्षर व्यक्तियों में से अध्ययन जारी व्यक्तियों में शिक्षा का स्तर सर्वाधिक प्राथमिक शाला में 60.45 प्रतिशत पाया गया है। पूर्व माध्यमिक शाला के स्तर में मात्र 17.52 प्रतिशत दर्ज किया गया है। हाई स्कूल 5.65 प्रतिशत एवं हायर सेकण्डरी स्कूल 0.56 प्रतिशत व्यक्ति अध्ययनरत पाये गये हैं जिनका प्रतिशत बहुत कम है। स्नातक, स्नातकोत्तर एवं तकनीकी शिक्षा में एक भी व्यक्ति अध्ययनरत नहीं पाये गये हैं।

1.6.4 अध्ययन समाप्त व्यक्तियों में शिक्षा का स्तर

सर्वेक्षित बैगा परिवारों में अध्ययन समाप्त कर चुके व्यक्तियों में शिक्षा का स्तर निम्न तालिका में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक

सर्वेक्षित बैगा जनजाति के व्यक्तियों का शैक्षणिक स्तर (अध्ययन समाप्त)

क्र.	शिक्षा का स्तर	व्यक्ति					
		पुरूष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्राथमिक शाला	104	69.34	55	68.75	159	69.13
2	पूर्व माध्यमिक शाला	24	16.00	16	20.00	40	17.39
3	हाई स्कूल	13	8.66	4	5.0	17	7.39
4	हाई से. स्कूल	9	6.00	4	5.00	13	5.65
5	स्नातक	—	—	1	1.25	1	0.44
6	स्नातकोत्तर	—	—	—	—	—	—
7	तकनीकी	—	—	—	—	—	—
योग		150	100.00	80	100.00	230	100.00

सर्वेक्षित बैगा जनजाति परिवारों का शैक्षणिक स्तर जो अध्ययन समाप्त कर चुके हैं, इसमें सर्वाधिक प्राथमिक शाला 69.13 प्रतिशत पायी गई है। पूर्व माध्यमिक शाला 17.39 प्रतिशत, हाई स्कूल 7.39 प्रतिशत, हाई.से. स्कूल 5.65 प्रतिशत एवं स्नातक 0.44 प्रतिशत पाया गया है। इस प्रकार अधिकतम शिक्षा का स्तर स्नातक है, किन्तु जिसका प्रतिशत मात्र 0.44 (संख्या = 01) है। जबकि स्नातकोत्तर एवं तकनीकी शिक्षा एक भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है।

1.7 बैगा जनजाति की उत्पत्ति

बैगा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में कबीरधाम जिले के बोड़ला एवं पण्डरिया विकासखण्ड क्षेत्र अंतर्गत निवासरत बैगा जनजाति में प्रचलित किवदन्ती इस प्रकार है :—

बहुत पहले एक देवता थे जिसका नाम नागा बैगा था, नागा बैगा भगवान शंकर का ही एक रूप माना जाता है। किसी समय नागा बैगा ध्यान लगाये हुए बैठे थे। उस समय संसार में जल ही जल था, थल कहीं भी नहीं था। जल में एक केकड़ा अपने दोनों **''डाड़हा''** के बीच में कुछ मिट्टी दबाये हुए बैठा था, उसी समय वहां एक गिद्ध उड़ते हुए नीचे आया और केकड़ा

से टकरा कर वापस उड़ गया। गिद्ध के टकराने से केकड़ा के डाड़हे में रखा हुआ मिट्टी वहां ध्यान लगाये हुए नागा बैगा के सामने गिर गया। नागा बैगा ने उस मिट्टी को जल में घोलकर फैला दिया। वह मिट्टी जितने स्थान तक फैल गया वह पृथ्वी बन गया। अब इस पृथ्वी पर नागा बैगा ने अपने तपस्या द्वारा संतान का सृजन किया और उसे कमाने के लिए बैल, कुदाली एवं गैती दिया। इस प्रकार नागा बैगा द्वारा बनाये गये संतान ''बैगा'' कहलाये।

बैगा जनजाति आज भी नागा बैगा को अपने पूर्वज के रूप में मानते हुए विभिन्न धार्मिक कर्मकाण्ड, त्यौहार एवं जीवन संस्कार के अवसरों पर इनकी पूजा करते हैं।

ग्रियर्सन के अनुसार प्राचीन काल में बैगा छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में फैले थे वहां से राजपूतों द्वारा दुर्गम क्षेत्रों की ओर भगाए गये।

1.8 बोली

बैगा जनजाति का एक पृथक बोली पाया जाता है जिसे ''बैगानी'' बोली के नाम से जाना जाता है। यह आस्टिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। सर्वेक्षित बैगा जनजाति वर्तमान में बैगानी बोली के साथ–साथ छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं। कुछ लोग हिन्दी भाषा का उपयोग भी संपर्क भाषा के रूप में करने लगे हैं।

1.9 बैगा जनजाति का छत्तीसगढ़ में वितरण

बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य क्षेत्र में निवासरत है। मुख्य रूप से कबीरधाम जिले के बोडला एवं पण्डरिया विकासखण्ड, बिलासपुर जिले के गौरेला, कोटा एवं तखतपुर विकासखण्ड, कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़, खड़गवां एवं भरतपुर विकासखण्ड, राजनांदगांव जिले के छुईखदान विकासखण्ड एवं मुंगेली जिला के लोरमी विकासखण्ड अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में निवासरत है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या कबीरधाम जिले में पायी जाती है।

1.9.1 बैगा जनजाति का छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार वितरण

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के आधारभूत सर्वेक्षण वर्ष 2014–15 से प्राप्त प्राथमिक आकड़ों के अनुसार बैगा जनजाति का जिलेवार जनसंख्या का वितरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	परिवार संख्या	जनसंख्या					
			पुरूष		स्त्री		योग	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	बिलासपुर	3675	6052	13.63	5849	13.32	11901	13.48
2	कबीरधाम	11261	22121	49.82	21858	49.77	43979	49.80
3	कोरिया	5947	9794	22.06	9874	22.48	19668	22.27
4	मुंगेली	2358	4229	9.52	4155	9.46	8384	9.49
5	राजनांदगांव	1348	2206	4.97	2179	4.96	4385	4.97
योग		**24589**	**44402**	**50.28**	**43915**	**49.72**	**88317**	**100.00**

उपरोक्तानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कबीरधाम जिले में बैगा जनजाति का कबीरधाम जिले में मुख्य संकेन्द्रण है। जहां 49.80 प्रतिशत (जनसंख्या 43979) जनसंख्या निवासरत है एवं सबसे कम 4.97 प्रतिशत (संख्या 4385) जनसंख्या राजनांदगांव जिले में निवासरत है।

1.9.2 बैगा जनजाति का छत्तीसगढ़ राज्य में विकासखण्डवार वितरण

बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के आधारभूत सर्वेक्षण वर्ष 2014–15 से प्राप्त प्राथमिक आकड़ों के अनुसार बैगा जनजाति का विकासखण्डवार जनसंख्या का वितरण निम्नानुसार है:–

क्र.	जिला	विकास खण्ड	परिवार संख्या	जनसंख्या					
				पुरूष		स्त्री		योग	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बिलासपुर	गौरेला	2095	3319	7.47	3186	7.25	6505	7.37
2		कोटा	1520	2624	5.91	2528	5.76	5152	5.83
3		तखतपुर	60	109	0.25	135	0.31	244	0.28
4	कबीरधाम	बोड़ला	6636	13525	30.46	13314	30.32	26839	30.39
5		पण्डरिया	4625	8596	19.36	8544	19.46	17140	19.41
6	कोरिया	भतरपुर	5155	8358	18.82	8537	19.44	16895	19.13
7		खडगवा	355	638	1.44	587	1.34	1225	1.39
8		मनेन्द्रगढ़	437	798	1080	750	1.71	1548	1.75
9	मुंगेली	लोरमी	2358	4229	9.52	4155	9.46	8384	9.49
10	राजनांदगांव	छुईखदान	1348	2206	4.97	2179	4.96	4385	4.97
योग			**24589**	**44402**	**50.28**	**43915**	**49.72**	**88317**	**100.00**

उपरोक्तानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिला अंतर्गत बोडला विकासखण्ड में सर्वाधिक बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति निवासरत है।

अध्याय – 02
भौतिक – संस्कृति

2.1 ग्राम बसाहट

छततीसगढ़ राज्य में बैगा जनजाति वनांचल में निवासरत है और ये ग्राम के मुख्य बसाहट से दूर एकांत में निवास करना पसंद करते हैं। ग्राम में इनके निवास क्षेत्र को **''बैगा पारा''** के नाम से जाना जाता है। जहां इनके घर एक समूह या गुच्छे के रूप में बने होते हैं। ग्राम के प्रारंभ में कुछ वृक्षों के झुण्ड के नीचे ग्राम देवी–देवताओं का निवास स्थान होता है जिसे **''ठाकुर देवा''** कहते हैं। बैगा ग्राम प्रायः **नदी, झरिया** आदि से घिरे हुए हैं जो इनके जल स्त्रोत का मुख्य आधार है। वर्तमान में अधिकांश ग्रामों में **कुंआ, हैण्डपम्प** एवं **बोर** की व्यवस्था उपलब्ध हो गयी है।

2.2 आवास

बैगा जनजाति के आवास दूर–दूर बने होते हैं। आवास के सामने एवं पीछे के खाली जगह को लकड़ी के खम्भे एवं टहनियों के द्वारा घेरा किया जाता है जिसे ''बाड़ी'' कहते हैं। घर के मुख्य कमरे जिसे **''बड्डे खोली''** (बड़ा कमरा) कहा जाता है, उसके एक कोने में छोटा सा चबुतरानुमा स्थान होता है, जिसे **''देवाला''** (देवी–देवताओं का स्थान) कहते हैं। यहां

पर अपने पूर्वज देव एवं घर के अन्य देवी–देवताओं की पूजा की जाती है। इस कमरे का उपयोग बैगा दम्पति अपने सोने के लिए करती हैं। **''बड्डे – खोली''** के बाहर के स्थान को घेर कर छत बनाया जाता है जिसे ''परछी'' (बरामदा) कहते हैं। इस स्थान का उपयोग **''रांधड़ घर''** (रसोई घर) एवं खाली समय में उठने–बैठने के लिए किया जाता है। आवास से लगा हुआ पशु, पक्षियों एवं मुर्गे आदि रखने का स्थान बनाया जाता है। पशु–पक्षी, मुर्गे आदि रखने के स्थान का नाम अलग–अलग होता है।

2.3 आवास निर्माण हेतु स्थल चयन संबंधी कर्मकाण्ड

किसी नये स्थान पर आवास निर्माण से पूर्व शुभ–अशुभ संबंधी परीक्षण का कार्य किया जाता है, जो बैगा जनजाति के पुरोहित जिसे **''देवार''** (बैगा जनजाति में देवी–देवताओं की पूजा करने वाला) कहा जाता है, के द्वारा किया जाता है। परीक्षण के लिए जिस जगह आवास बनाया जाना है उस स्थान के बीचो–बीच एक पतली टहनी, जिसके आगे का भाग दो भागों में बंटा हो, उसे शाम को नियत स्थान पर गाड़ दिया जाता है। गाड़ने के बाद टहनी के दोनों भागों के बीच पत्थर को तीन टुकड़ा रख दिया जाता है। अगले दिन सुबह जाकर यह देखा जाता है कि टहनी के ऊपर रखा कोई पत्थर गिरा तो नहीं है, यदि टहनी से पत्थर गिर गया हो तो उस स्थान पर आवास नहीं बनाया जाता है। पत्थर नहीं गिरने की स्थिति में उस स्थान को निवास हेतु शुभ मानकर नये मकान का निर्माण किया जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि उक्त मकान में रहने पर पूर्वज देवों की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी।

2.4 आवास प्रकार एवं उनकी निर्माण विधि

बैगा जनजाति कुँवार – कार्तिक (अक्टूबर–नवंबर) माह से आवास बनाने की शुरूआत करते हैं एवं आषाढ़ (जुलाई) माह लगने के पूर्व आवास बनाने का कार्य पूर्ण कर लेते हैं। आवास बनाने का कार्य प्रारंभ करने से पहले उस स्थान पर नारियल या बेल, धूप, अगरबत्ती आदि के द्वारा अपने पूर्वज देवों एवं अन्य देवी–देवताओं की पूजा करते हैं। इसके बाद अपनी आवश्यकता एवं सामर्थ्य अनुसार एक–दो कमरे का आवास बनाने का कार्य प्रारंभ करते हैं।

छततीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले के बैगा जनजाति द्वारा परम्परागत रूप से तीन प्रकार के आवास बनाये जाते हैं :–

1. खद्दर घर या बन खद्दर

छिंद के पत्तों एवं वृक्ष की टहनियों के मदद से एक झोपड़ी बनाया जाता है जिसे बैगा जनजाति **''खद्दर घर''** या **''बन खद्दर''** कहते हैं।

2. भिठी घर

इस प्रकार के घरों के दीवार मिट्टी से बनाये जाते हैं। मिट्टी के दीवार को इनके बोली में **''भिठी''** कहा जाता है। **''भिठी घर''** दो–तीन **''खोली''** (कमरा) का बनाया जाता है। **''खोली''** के सामने के भाग को घेर कर छत बना दिया जाता है जिसे **''परछी''** (बरामदा) कहते हैं। परछी के एक किनारे में **''रांधड़ घर''** (रसोई घर) होता है। इस प्रकार के घरों में अलग–अलग आकार के लकड़ियों का उपयोग कर छत बनाया जाता है जिसे **''छानी''** कहते हैं। इन लकड़ियों को **''मियार'', ''पटिया'', ''काड़''** आदि नामों से जाना जाता है। ''परछी'' वाले हिस्से में ''पटिया'' लकड़ी के खम्भों के सहारे बैठाया जाता है। लकड़ी के खम्भों को स्थानीय बोली में **''ठनिया''** कहा जाता है। ''पटिया के ऊपर **''काड़''** एवं **''काड़''** के ऊपर बास के पतले कामची बिछाया जाता है जिसे बैगा बोली में **''बैलंगी''** कहते हैं। इसके ऊपर घास या खपरा छाया जाता है।

3. ''लाड़ी'' या ''नान–अक–लाड़ी''

यह **''ठनिया''** (लकड़ी के खम्भे), **''पटिया'', ''काड़'' ''बलंगी''** आदि का प्रयोग कर बनाया गया एक छोटा सा घर है जिसमें दीवार नहीं बनाया जाता है। इसका उपयोग **''रांधड़ घर''** (रसोई कक्ष) एवं खाली समय में उठने बैठने के लिए किया जाता है। पक्के आवास, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास बन जाने के कारण भी एक अलग से छोटा घर बनाया जाता है जिसे इनके बोली में **''लाड़ी''** या **''नान–अक–लाड़ी''** के नाम से जाना जाता है।

2.5 पशु – गृह

पशु, पक्षी एवं मुर्गी आदि रखने के स्थान को बैगानी बोली में अलग–अलग नामों से जाना जाता है, जो इस प्रकार है :–

1. कोठा
यह गाय–बैल रखने का स्थान है। यह घर के बाजू में बनाया जाता है। इस स्थान में गाय–बैल को रस्सी एवं खुंटे के द्वारा बांध कर रखा जाता है। उनके पीने के लिए एक खोखलानुमा पत्थर रखा जाता है जिसे स्थानीय बोली में ''कोटना'' कहा जाता है।

2. छेरी गुड़ा
यह बकरी रखने का स्थान है।

3. सुरागुड़ा
यह सुअर रखने का स्थान है। इसके अंदर सुअर के खाने एवं पीने का पानी रखने के लिए लकड़ी को खोदकर बनाया हुआ एक पात्र होता है।

4. कुदरी
मुर्गी रखने के स्थान को ''कुदरी'' कहा जाता है।

5. घोरसी
इसमें मुर्गी का अण्डा रखा जाता है।

6. पाला
यह पक्षी के घोंसला का नाम है।

7. ढरी
यह मछली रखने का पात्र है।

2.6 घरेलु उपकरण
बैगा जनजाति के घरो में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं सीमित होती हैं। जिनके प्रचलित एवं बैगानी बोली में नाम इस प्रकार हैं :–

2.6.1 रसोई उपकरण

बैगा जनजाति में रसोई घर को ''रांधड़ घर'' कहते हैं। रांधड़ घर में 2 या 3 पाया बनाकर उसके ऊपर पतले पत्थर या लकड़ी बिछा कर एक छोटा चबुतरा बनाया जाता है जिसे **''पड़हेन्दा''** कहते हैं। ''पड़हेन्दा'' के ऊपर पानी रखने के बर्तन एवं साफ–धुले हुए अन्य बर्तनों को रखा जाता है। रांधड़ घर में उपयोग किये जाने वाले बर्तन एवं अन्य वस्तुओं के नाम इस प्रकार हैं :–

1. कसेड़ी :–
यह पीतल से निर्मित पानी रखने का बर्तन है प्रचलित नाम **''हवला''** है।

2. तबेला :–
यह सिल्वर का बना पात्र है। इसका उपयोग पानी लाने एवं खाना पकाने के लिए किया जाता है।

3. थरिया
इसका उपयोग खाना खाने के लिए किया जाता है।

4. तवा
इसका बैगानी में प्रचलित नाम भी तवा ही है। यह रोटी पकाने में उपयोगी है।

5. चिमटा
यह आग पकड़ने में उपयोगी वस्तु है। इसका बैगानी में प्रचलित अन्य नाम नहीं है।

6. चुल्हा
यह मिट्टी से बना होता है। भोजन पकाने के लिए इसके नीचे लकड़ी जलाई जाती है एवं ऊपर भोजन पकाने के लिए बर्तन रखा जाता है।

2.6.2 कृषि उपकरण

बैगा जनजाति परम्परागत कृषि करते हैं। कृषि कार्य हेतु ज्यादातर स्वनिर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। लोहे से बनी वस्तुओं को बाजार से खरीदा जाता है जिसमें मरम्मत या धार करने वाले व्यक्ति को लोहार कहा जाता है। उपकरणों के नाम इस प्रकार है :–

क्र.	प्रचलित नाम	बैगानी बोली में नाम
1	टंगिया	टंगिया
2	गैती	गैती
3	रापा	रापा, फौवड़ा
4	कुदाल	कुदड़ी
5	बसुला	बेंसला
6	आरी	आरा
7	हसिया	हसिया
8	नांगर	नागर
9	दतारी	दतरी
10	गाड़ा	गाड़ी

अनाज रखने का पात्र

1. खुडरी

बांस का बना होता है। इसमें धान एवं कोदो, कुटकी आदि अनाज रखते हैं।

2. कोठी

यह प्रायः मिट्टी के दीवार से बना होता है। वर्तमान में कुछ लोग ईंट से बनाने लगे हैं। इसमें मुख्यतः धान रखा जाता है। कोदो–कुटकी भी रखा जाता है।

3. बखरा

यह पैरा का बना होता है। इसमें भी धान रखा जाता है।

2.6.3 शिकार उपकरण

1. धणडु (डोरा धणहु, पनीज धणहु)

धणहु या धनुश–बाण दो प्रकार के होते हैं। चिड़िया मारने का **''डोरा धण्हु''** कहलाता है, जिसमें बांस के पाटी के दोनों सिरे पर **''महिलान डोरा''** (मोहलाइन रस्सी) बांधा जाता है। सरई वृक्ष जिसे **''भिटका सरई''** कहते हैं, इससे तीर बनाया जाता है।

बड़े जानवर मारने के धणहु (धनुष) को **''पनीज धणहु''** कहते हैं। इसमें बांस के पाटी के दोनों सिरे पर रस्सी के स्थान पर बांस के **''पंच्ची''** (पतली कामची) लगाया जाता है इसका तीर **''खिरसोड सरई''** से बनाया जाता है।

2. गुलेल

यह चिड़िया मारने का काम आता है। यह दो शाखाओं में बटे मजबूत टहनी को काटकर बनाया जाता है। दोनों टहनी के शिरे में रबड़ या ट्यूब का पतला एवं मजबूत रस्सी बांधा जाता है जिसे **''फत्ता''** के नाम से जाना जाता है। फत्ता को फिता भी कहा जाता है। फत्ता के बीचो–बीच **''गोटी''** रखकर जोर से **खीचकर** गोटी को निशाने पर छोड़ा जाता है। यह गोटी **बांस** या **धौरा** नामक वृक्ष के से बनाया जाता है।

2.6.4 नाप – तौल का उपकरण

1. पैली

1 पैली का माप 1 किलो के लगभग बराबर है। इससे मुख्यतः चावल नापते हैं।

2. बरिहा

एक बरिहा लगभग आधा किलो के बराबर है। इससे धान नापा जाता है।

3. कुरैया

यह 2 किलो सामग्री नापने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे भी धान नापा जाता है।

4. काठा

यह 4 किलो माप के लिए उपयोग किया जाता है। इससे भी धान नापा जाता है।

2.6.5 वस्त्र विन्यास

बैगा जनजाति में लोग आज भी अपने परम्परागत वस्त्र धारण किये हुए दिखाई देते हैं। इनके परंपरागत वस्त्र को **''चौखाना–मुंगी''** कहा जाता है जिसे पुरूष एवं महिलाएं दोनों पहनती हैं। यह लाल रंग का कपड़ा है जिसे स्थानीय पनिका जाति के लोग बुनते हैं। पुरूष इसका लंगोट बनाकर पहनते हैं जबकि महिलाएं ''16 हाथ'' (लगभग 24 फीट) लम्बे कपड़े को साड़ी के रूप में लपेट लेती हैं, जिसे **''मुंगी फरिया''** कहते हैं। बैगा महिलाओं में पोलका (ब्लाऊज) पहनने का प्रचलन नहीं है। इसके अलावा बैगा महिलाएं एक और पारंपरिक साड़ी पहनती है जिसे **चकधरिया** (सफेद रंग का) फरिया कहते हैं। पारंपरिक परिधानों के अलावा वर्तमान में प्रचलित परिधानों का प्रयोग भी प्रारंभ हो चुका है। बैगा जनजाति में पारंपरिक परिधानों के नाम इस प्रकार है –

1. पुरूष परिधान	–	लंगोट–बंडी, पटका–चपका जाकीट
2. महिला परिधान	–	मुंगी फरिया, चकधरिया फरिया, पोलका

2.6.6 आभूषण

बैगा जनजाति में पारंपरिक आभूषणों का प्रचलन है। अपने सामान्य दिनचर्या के दौरान भी इन आभूषणों को वे धारण किये हुए रहते हैं। प्रमुख नाम इस प्रकार है –

1. पुरूष आभूषण

बैगा जनजाति में पुरूष बहुत कम आभूषण पहनते हैं तथापित कुछ लोग कान में कनबदी (सोने का), हाथ में चुड़ा एवं अंगुली में अंगुठी पहनते हैं। **''मंजूर पंख''** (मयूर पंख) से बने नृत्य के समय सिर में पागा बांध कर उसमें लाल रस्सी से बने **''फंदरा** एवं **कलगी''** खोच लेते हैं।

2. महिला आभूषण

महिलाओं का मुख्य आभूषण तो उनका गोदना है जो अन्य जाति, जनजाति की महिलाओं से उन्हें पृथक करती है। इसके अलावा अन्य पारंपरिक आभूषण भी बैगा जनजाति महिलाओं की प्रमुख विशेषताएं है जो इस प्रकार है –

1. चेपटा क्लिप (बाल में)
इसे बालों में सामने की ओर माथे के ऊपर लगाया जाता है।
2. तरकी, लुरकी तड़की (कान में)
यह कान का आभूषण है। तरकी छोटा होता है जो लटकन के जैसा है जबकि लुरकी तड़की बड़ा है एवं इसमें चैन लगा होता है।
3. बिछिया छुटा (गला)
यह गले में पहना जाता है। सुतिया (चांदी)
4. हवाल छुटा (गला)
यह गले में पहना जाता है। (चांदी का सोनार से)
5. छिलरी छुटा (गला)
रस्सी, धागे में गुथा हुआ माला।
6. बोकटा
(बांह में) नागमोरी के ऊपर पहना जाता है।
7. नागमोरी (बांह में)
8. गिलट चुड़ी
(कलाई में, हराया के ऊपर पहना जाता है)
9. हराया (कलाई में)
10. करधन (कमर में) डाल्डा का
11. मुंदरी एवं भवर मुंदरी – अंगुली में
12. पैर में एड़ी के ऊपर – चुड़ा
13. छुटकी – पैर की अंगुली में।

इन आभूषणों के अलावा नृत्य के समय बिरन घास से बना बिरन माला भी बालों में लगाती है।

2.6.7 संगीत उपकरण

बैगा जनजाति विभिन्न तीज–त्यौहार, विवाह आदि अवसरों पर पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ नृत्य करते हैं। प्रमुख वाद्ययंत्रों के नाम इस प्रकार है –

1.नगारा

''नगारा'' (नगाड़ा) इनका प्रमुख वाद्ययंत्र है। प्रायः सभी नृत्य अवसरों पर नगाड़ा बजाकर नृत्य किया जाता है। नगाड़ा बजाने का कार्य बैगा जनजाति के लोग स्वयं ही करते हैं। नगाड़ा के साथ में एक अन्य व्यक्ति द्वारा स्टील के थाली या प्लेट को उल्टा कर लकड़ी के पतले डण्डे के सहारे बजाया जाता है।

2.मादर

मादर (मांदर) भी एक अन्य प्रमुख वाद्ययंत्र है। यह प्रायः **''दसेरी''** नृत्य में बजाया जाता है।

3.ठिसकी

''ठिसकी'' नगाड़ा के साथ ही बजाया जाने वाला वाद्ययंत्र है।

4.घुरघुली

घुरघुली या घुंघरू पुरूष द्वारा पैर में पहनकर नृत्य किया जाता है।

2.6.8 मछली पकड़ने के उपकरण

1.	कुमनी	–	बांस का
2.	बन्शी	–	लोहा, डोरा, मयुर पंख फोही, बास डंगनी
3.	घेतवा	–	मिट्टी के गुल
4.	जाली	–	तात जाली, कपड़ा जाली
5.	ग्रिनेट	–	तात, लैलोन
6.	चोरिया	–	बांस, मोहिलान डोरी
7.	झिटका	–	बांस, मोहिलान डोरी
8.	कुरू	–	बांस, मोहिलान डोरी
9.	गडा	–	बड़े मछली
10.	मोडा	–	बांस

अध्याय – 03
आर्थिक जीवन

छत्तीसगढ़ के बैगा जनजाति की अधिकांश जनसंख्या सुदूर वनांचलों में निवास करती है इसलिए इनका आर्थिक जीवन मुख्यतः वनों पर निर्भर है। इनके द्वारा मुख्य रूप से खाद्य संकलन, वनोपज संग्रह, कृषि, मजदूरी एवं मत्स्याखेट का कार्य किया जाता है। जंगली जानवरों का शिकार करना भी इनके जीवन का अभिन्न अंग रहा है। सर्वेक्षित बैगा जनजाति के आर्थिक जीवन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

3.1 खाद्य संग्रहण

बैगा जनजाति के लोग प्रत्येक दिन सुबह उठकर अपने आसपास के वनों में जाकर वहाँ उपलब्ध विभिन्न खाद्य पदार्थों यथा **कंदमूल** एवं **भाजियों** की तलाश में घूमते रहते हैं और प्रायः दोपहर के बाद खाद्य पदार्थ संकलित कर वापस घर लौटते हैं।

कंदमूल –

बैगा जनजाति द्वारा अनेक कंदमूल संग्रहित किया जाता है। कंदमूल की पहचान उनके ऊपर ऊगे लता से करते हैं। ये कंदमूल प्रायः बरसात के बाद ठंड के मौसम में प्राप्त होते हैं। इनमें से अधिकांश कंदमूल को उबालकर खाया जाता है। इसके अलावा औषधीय गुणों वाली कंदमूल भी प्राप्त होती है जिनके नाम, उपलब्धता माह एवं उपयोग इस प्रकार है :

क्र.	कंदमूल के नाम	उपलब्धि माह	उपयोग
1	2	3	4
1	जलिया कांदा	अग्घन – पूस	खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे कच्चा अथवा उबालकर खाया जाता है।
2	सैधु कांदा	अग्घन – पूस	खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे कच्चा अथवा उबालकर खाया जाता है।
3	डोंडची कांदा	अग्घन – पूस	खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे कच्चा अथवा उबालकर खाया जाता है।
4	गिट कांदा	आषाढ़ – सावन	खाद्य के रूप में उबालकर एवं भून कर खाया जाता है।
5	बडान्द कांदा	सभी माह	खाद्य एवं औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है इसे उबालकर एवं भून कर खाते हैं। जलने वाले व्यक्ति को औषधि के रूप में भी दिया जाता है।

6	रवि कांदा	गर्मी एवं बरसात में	खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है। बताया जाता है कि इसका स्वाद अच्छा नहीं होता है। इसलिए जब खाने को कुछ उपलब्ध नहीं होता है तब इसे भूख मिटाने के लिए खाते है।
7	लोरंगी कांदा	आषाढ़ में	खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है, इसे उबालकर एवं भून कर खाते हैं।
8	कपसा कांदा	आषाढ़ में	खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है इसे कच्चा ही खाया जाता है।
9	बोतरो कांदा	अग्घन – पूष	कच्चा, उबालकर या भून कर खाया जाता है।
10	बलराय कांदा	–	औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए किया जाता है। शरीर को बल प्रदान करने के कारण इसे बलराय कांदा कहा जाता है।
11	जलराय कांदा	–	औषधि के रूप में उपयोग विशेषकर कमर की मजबूती हेतु किया जाता है।
12	भोजराय कांदा	–	औषधिं के रूप में उपयोग कमर की मजबूती हेतु उपयोग किया जाता है। ।
13	गठवन कांदा	–	औषधिय के रूप में उपयोग ''गाठ पीड़ा'' (जोड़ों के दर्द) में उपयोगी है।
14	मसड़ा कांदा	–	यह जहरीला कांदा है। शिकार हेतु तीर के नोक में लगाने के काम आता था।
15	गोदला कांदा	–	इसे वर्षा बताने वाला कांदा माना जाता हैं। इस कांदे के फूल जिस दिशा में झुका रहता है। ऐसा माना जाता है कि वर्षा उसी दिशा से आती है।

भाजी

बैगा जनजाति द्वारा अनेक भाजियों का संकलन किया जाता है। कुछ भाजियों को धूप में सुखाकर भी रखते हैं जिसे **''झुरा भाजी''** कहते हैं। अन्य स्थानीय लोग इसे **''सुखड़ी''** भाजी कहते हैं। प्रमुख भाजियों के नाम इस प्रकार है :–

चेच, चरोटा, पीपड़, पीकरी, पकड़ी, अमटा आदि।

3.2 वनोपज संकलन

बैगा जनजाति के लोग अपने आसपास के वनों से प्राप्त विभिन्न वनोपजों का संकलन करते हैं। मुख्य रूप से **महुआ** एवं **तेंदूपत्ता** का संग्रह इनके द्वारा किया जाता है। अपने उपभोग के लिए कुछ मात्रा में रखकर बाकी को सहकारी समिति या वनोपज विक्रय केन्द्र में बेच देते हैं। महुआ एवं तेंदूपत्ता के अलावा भी उपलब्ध होने पर अन्य वनोपजों का संग्रह कर इनके द्वारा बेचा जाता है। वर्ष 2019–20 के लिए राज्य सरकार द्वारा देय समर्थन मूल्य एवं वनोपज के नाम निम्नांकित है :–

क्र.	वनोपज के नाम	समर्थन मूल्य (2019–20)
1	2	3
1	महुआ	30 रू./किलो
2	तेंदूपत्ता	1000 नग – 400 रूपये
3	चिरौंजी गुठली	109 रू/प्रति किलो
4	इमली गुठली बीज	31 रू/प्रति किलो
5	कुल्लु गोंद	120 रू/प्रति किलो
6	बहेड़ा	17 रू/प्रति किलो
7	पुवाड (चरोटा) बीज	14 रू/प्रति किलो
8	साल बीज	20 रू/प्रति किलो
9	हर्रा	15 रू/प्रति किलो
10	नागरमोथा	27 रू/प्रति किलो
11	बेलगूदा	27 रू/प्रति किलो
12	रंगीन लाख	150 रू/प्रति किलो
13	महुआ बीज	25 रू/प्रति किलो
14	कुसमी लाख	225 रू/प्रति किलो
15	शहद	195 रू/प्रति किलो
16	कालमेध	30 रू/प्रति किलो
17	फूलझाड़ू	30 रू/प्रति किलो

3.3 कृषि

बैगा जनजाति के लोग पूर्व में स्थानांतरित कृषि करते थे जिसे **''बेवर''** कृषि कहा जाता है। इसमें जंगल के कुछ भाग को कृषि के लिए चयन कर छोटे–छोटे पेड़ एवं झाड़ियों को काट दिया जाता था जिसके सूख जाने के बाद उसमें आग लगा देते थे। बचे हुए राख को फैलाकर उसमें अनाज के दाने झिड़क देते थे। वर्षा होने पर ये अंकुरित होकर पौधा बन जाते

थे। फसल पकने के बाद अनाज प्राप्त कर लेते थे। बचे हुए फसल के छोटे–छोटे ठूंठ को जलाकर अगले वर्ष फिर से वहां अनाज के दाने छिड़क दिया जाता था। प्रायः दो या तीन वर्ष फसल लेने के बाद उस स्थान को अनुपजाऊ मानकर जंगल के दूसरे भाग की झाड़ियों को काटकर पुनः नये स्थान पर फसल लेते हैं। इस प्रकार पहली बार जंगल काटने को स्थानीय बोली में **''बेवर काटना''** (जगल काटना) कहा जाता था और बेवर अर्थात जंगल को काटकर यहां कृषि करने को बेवर कृषि कहा जाता है। प्रत्येक दो–तीन वर्ष बाद स्थान बदल–बदल कर कृषि करने के कारण इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है।

बैगा जनजाति द्वारा पूर्व में वृहद स्तर पर बेवर कृषि करने का एक तर्क इनके द्वारा यह दिया जाता था कि धरती उनकी माता है इसलिए उनकी छाती में वे हल नहीं चला सकते हैं। जबकि जंगल को भगवान ने उन्हें जीवित रहने के लिए बनाया है और उन्हें जंगल का राजा बनाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का आर्शीवाद दिया है। **''बेवर''** कृषि से जंगलों को होने वाले नुकसान के कारण सरकार द्वारा इस प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है साथ ही वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बैगा जनजाति के लोगों को स्थायी कृषि करने लिए प्रोत्साहित भी किया गया। वर्तमान में जंगल को काटकर व जलाकर बेवर कृषि करना प्रायः छोड़ चुके हैं और स्थायी कृषि को अपना चुके हैं।

कृषि कार्य प्रारंभ करने से पहले बैगा जनजाति के लोग अपने ईष्टदेवों/पूर्वज देवों एवं अनाज का पूजा करते हैं एवं इसे एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं जिसे **''बीज–बोनी''** नामक त्यौहार के नाम से जाना जाता है। जेठ माह में अक्ती के दिन ये लोग अपने–अपने घर से सभी प्रकार के अनाज के दाने थोड़ी–थोड़ी मात्रा में लेकर ग्राम – देवी देवताओं का स्थान, जिसे **''ठाकुरदेव''** कहा जाता है वहां एकत्रित होते हैं जहां बैगा जनजाति में से ही एक व्यक्ति जो ग्राम देवी–देवताओं की पूजा करता है उसके द्वारा पारंपरिक रूप से पूजा किया जाता है। पूजा करने के बाद यह माना जाता है कि अनाज के दानों में अब जीवन आ चुका है।

बैगा जनजाति द्वारा पारंपरिक विधि से ज्यादातर कोदो, कुटकी एवं अन्य मोटे अनाज उगाये जाते हैं। वर्तमान में धान की अनेक किस्मों का उत्पादन भी इनके द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों के नाम एवं उनके विभिन्न किस्मों के नाम संक्षिप्त में इस प्रकार है :–

1. धान –

यह एक अनाज है जिसे उबालकर खाया जाता है जिसे **''भात''** कहा जाता है। इसके आटे से विभिन्न प्रकार की रोटियाँ भी बनायी जाती है। बैगा जनजाति द्वारा ऊगायी जाने वाली

धान के विभिन्न किस्मों की उनकी स्थानीय बोली अनुसार नाम इस प्रकार है :–

चेपटी गुरमटिया – बैगा के अलावा अन्य लोग इसे गेंदाफूल कहते हैं।
सेरा
भाटा सफरी
डवर धान
ठर्री धान
बास पान
देवधान – यह स्वयं ऊगता है इसलिए देवधान कहा जाता है।
रतला

2. कोदो –

यह एक मोटा अनाज है। इसका रोटी एवं भात दोनों बनाया जाता है। इसकी तीन प्रमुख किस्में है जिसे बैगा लोग खेती करते है :–

लेदरी कोदो
मंझलीन कोदो
बड़्डे कोदा

3. कुटकी –

यह भी एक मोटा अनाज है। इसका रोटी एवं भात बनाया जाता है। बैगा जनजाति के बोली में इसकी प्रमुख किस्मों के नाम इस प्रकार है :–

नांग दावन
रसेड़ी
झोरहा / झोरई
सिताही
डोंगर कुटकी
राली
चार कुटकी

4. लोडा –

इसका प्रचलित नाम मक्का है। इसे उबालकर या आग में भुनकर खाया जाता है। साथ ही इसे धूप में सुखाकर सुरक्षित करके भी रख लिया जाता है। आवश्यकता अनुसार पीस कर रोटी बनाकर खाते हैं।

5. राहड़ –

इसका प्रचलित नाम अरहर है। इसका दाल के रूप में उपयोग किया जाता है।

6. सलहार –

यह कोदो जैसा ही एक मोटा अनाज है। बैगा लोग इसका पेज बना के खाते हैं। दाने को ज्यादा खा लेने से पेट दर्द होता है।

7. कांग –

यह भी एक प्रकार का अनाज है जिसकी बाली धान एवं बीज सरसो के दाने जैसा दिखता है। यह बिना हल चलाये ऊगाये जाने वाला अनाज है। इसका उपयोग रोटी एवं भात बनाकर किया जाता है। इसका खीर भी बहुत अच्छा बनता है।

8. मंदिया या मड़िया –

यह भी एक प्रकार का अनाज है जिसका बीज सरसो के दाने जैसा होता है। इसका रोटी बनाया जाता है साथ ही यह औषधीय गुणों वाला भी है जिसे ''जंचकी'' (प्रसव) के समय प्रसुता को खिलाया जाता है।

9. सावा –

यह भी एक प्रकार का अनाज है। इसका पेज (गीला भात) बनाया जाता है। बैगा लोग के अनुसार इसका खीर बहुत अच्छा और स्वादिष्ट होता है।

10. जुवार –

इसका प्रचलित नाम ज्वार है। इसका रोटी, पेज एवं भात बना कर खाया जाता है। बैगा लोग ज्वार के अनेक किस्म को अपने बोली में निम्न प्रकार से जानते हैं :–

बड़े जुवार	–	सफेद होता है।
भंदेली जुवार	–	लाल होता है।
होड़ा जुवार	–	आग में भुनकर खाते हैं जिसे ''होरा'' या ''होड़ा'' कहते हैं।
भरहा जुवार	–	मैदानी जमीन में ऊगता है।
झेतहा जुवार	–	खेतों में ऊगाया जाता है।

11. सिकिया –

यह भी एक प्रकार का अनाज है जिसका भात एवं पेज बनाया जाता है। इसके दाने कुटकी से मिलता–जुलता किन्तु अलग होता है।

12. झुझरू –

इसका ज्यादातर दाल के रूप में उपयोग किया जाता है।

13. रवास –

इसका प्रचलित स्थानीय नाम झुरगा है। सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है।

14. डांग रवास –

प्रचलित स्थानीय नाम लाल झुरगा है। सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है।

15. तुमा –

प्रचलित नाम लौकी है। सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है।

16. बेंदरा –

इसका दाल के रूप में उपयोग किया जाता है।

17. उड़िद –

प्रचलित नाम उड़िद है। दाल के रूप में ज्यादातर उपयोग किया जाता है।

18. कोड़य –

यह सेमी जैसा दिखाई देता है। सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है।

3.4 मजदूरी

बैगा जनजाति के लोगों द्वारा उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की खरीदी करने हेतु नगद रूपये प्राप्त करने का मुख्य स्त्रोत मजदूरी है, किन्तु क्षेत्र में वर्षभर पर्याप्त मात्रा में मजदूरी कार्य उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए इनका अधिकांश समय गैर आर्थिक उपार्जन के कार्यों में व्यतीत हो जाता है। यद्यपि वर्तमान में पंचायत विभाग द्वारा रोजगार गारंटी के तहत कार्य उपलब्ध कराया जाने लगा है। कभी–कभी वन विभाग, लोक निर्माण विभाग द्वारा भी आवश्यकता अनुसार मजदूरी कार्य हेतु इन्हें बुलाया जाता है।

3.5 मतस्याखेट

वर्षा ऋतु में जब नदी–नालों में पानी बहने लगता है और नदी नालों की मछलियाँ ऊपर चढ़ने लगती है तो पानी के बहाव को थोड़ा रोककर मछली पकड़ने के लिए बनाये गये विभिन्न ''फांदा'' या जाल के द्वारा मछली पकड़ा जाता है। पकड़ी गयी मछलियाँ ज्यादातर स्वयं उपयोग के काम आता है। इनके द्वारा मछलियों को आग में भुनकर उसका सुखा बनाकर रख लिया जाता है। जिसका उपयोग बाद में भी कर सकते हैं। कुछ लोग साप्ताहिक बाजारो में इन मछलियों को बेच कर कुछ अर्थोपार्जन भी कर लेते हैं। बैगा जनजाति द्वारा मछली पकड़ने के लिए उपयोग किये जाने वाले विभिन्न फांदा एवं जाल का उनके बोली में बताये गये नाम एवं ये फांदे किस वस्तु से बनी है, इसका संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दर्शित है :–

क्र.	फांदा/जाल का नाम	निर्मित वस्तु का नाम
1	2	3
1	कुमनी	बाँस, मोहिलान डोरी (रस्सी)
2	चोरिया	बाँस, मोहिलान डोरी (रस्सी)
3	झिटका	बाँस, मोहिलान डोरी (रस्सी)
4	कुरू	बाँस, मोहिलान डोरी (रस्सी)
5	घेतवा	रस्सी, रबड़, लैलोन डोरी, मिट्टी से बना गुल
6	बंशी	लोहा, मयुर पोही, बांस डंगनी, नायलान डोरी (रस्सी)
7	जाली/फांदा	तात रस्सी, कपड़ा
8	ग्रिनेट	तात या नायलोन रस्सी
9	गड़ा	बाँस (बड़े मछली हेतु)
10	मोडा	बाँस

3.6 शिकार

पूर्व समय में जंगली जीव–जन्तुओं का शिकार करना बैगा जनजाति के जीवन का अभिन्न अंग था। शासन द्वारा शिकार करने की पाबंदी के कारण अब शिकार नहीं किया जाता है। कभी – कभी खाने योग्य छोटे–छोटे जीव–जन्तु दिखाई दे जाने पर उसे लाठी या टांगी (कुल्हाड़ी) आदि से मारकर खाते हैं। बच्चे गुलेल आदि से पक्षियों को निशाना लगाकर मारकर खाते हैं।

बैगा जनजाति में शिकार करने का पारंपरिक विधि पाया जाता था। बैगा जनजाति में शिकार को **''खेदे''** कहा जाता है एवं शिकार करने वाले को **''खेदहा''** कहा जाता है। बैगा जनजाति के लोग शिकार में जाने से पहले माता भवानी की पूजा करते हैं। इसी प्रकार घर के मुड़हर घर (मुख्य घर) में निवास करने वाली मसवासी माता के संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वह धनहु – सरे **(धनुष – बाण)** में बैठ कर शिकार करने वालों के साथ जंगल जाती है। इसे बैगा जनजाति द्वारा अपने बोली में कहते है कि **''मसवासी माता कर उठा कर खेदे के धनहु सरे धर के डोंगर जाबो।''**

बैगा जनजाति के लोग एकल व सामुहिक दोनों प्रकार से शिकार करते थे। बड़े जानवर जैसे **''बरसिंगा'' ''बरहा'', ''चीतल'', ''साम्भर'', ''वनभैसा''** आदि का सामूहिक रूप से शिकार किया जाता था। शिकार में प्रयोग किये जाने वाले बाण या तीर को कई प्रकार

के जहरीले कांदा से जहरीला भी किया जाता था जिससे जानवर आसानी से मर सके। इन जहरीले कांदा को इनके द्वारा **''माहुर''** कांदा कहा जाता है जिसे कायली, **दुधिया, ककरगोड़ी, कोखिया, भुखिया, डंडिहा, मशना** आदि नामों से जाना जाता है। जिस व्यक्ति के तीर से जानवर का शिकार होता था उसे सिर या जांघ का हिस्सा देते थे या बटवारे में एक भाग अधिक दिया जाता था। यदि किसी की गलती से शिकार भाग जाता था तो उसे बहुत गाली सुनना पड़ता था। कभी–कभी खाना पीना भी उसका कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता था। जीजा–साला (सारा–भाठो) के रिश्ते में यदि भाठो (जीजा) से गलती हो जाय तो सारा (साला) द्वारा गाली देते हुए कहा जाता है कि घर पहुँचो गे तो आपको मेरी बहन से मार खिलाऊंगा।

अध्याय – 04
धार्मिक जीवन

छत्तीसगढ़ के बैगा जनजाति अपने विभिन्न त्यौहार, जीवन–संस्कार (जन्म, विवाह, मृत्यु) एवं किसी भी शुभ कार्य आदि की शुरूवात अपने कुल देवी–देवता एवं पूर्वज देवी–देवताओं की परम्परागत रूप से पूजा–प्रार्थना करने के पश्चात करते हैं। **''नागा बईगा – नागा बईगिनी''**, **''आजा दादी–पूरखा नाती''**, **''दूल्हा देव–दुल्ही देवी''**, **''मसवासी माता''**, **''मरा देव''**, **''राजा नारायण देव''**, **''खुट पाट''**, **''चरवाहा – चरवाहिन''**, **''काड़ी चरोखर''** एवं **''बहरवास''** आदि इनके प्रमुख देवी–देवताओं के नाम है। इनका वास रसोई घर, मुख्य घर, घर के दरवाजा, पशुघर आदि स्थानों पर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बैगा जनजाति के लोगों को तंत्र मंत्र एवं जादुई शक्ति का ज्ञान परम्परागत रूप से प्राप्त है जिसके द्वारा वे देवी–देवताओं को मनाने एवं भूत–प्रेत, मशान, चुड़ैल आदि उतारने का काम करते हैं। साथ ही कुछ जड़ी – बूटी देकर लोगों की बीमारी दूर करते हैं। उक्त के अलावा बैगा जनजाति के लोग **''डीह बैठाने''** (नया गाव बसाने) एवं महामारी आदि के प्रकोप से गांव वालों को बचाने के लिए मंत्र पाठ द्वारा गांव को बांधने का कार्य भी करते हैं।

प्रस्तुत अध्याय में बैगा जनजाति के प्रमुख देवी–देवताओं की पूजा विधि एवं त्यौहार मनाने की विधि का उल्लेख किया गया है।

4.1 प्रमुख देवी–देवता

बैगा जनजाति के प्रमुख देवी–देवताओं के नाम एवं उनकी पूजा विधि निम्नानुसार है :–

4.1.1 रात मय देवी

बैगा जनजाति में पानी रखने के स्थान को **''पड़ेना''** कहा जाता है और वहीं पर इस देवी का निवास माना जाता है। इस देवी की पूजा विभिन्न

त्यौहार के अवसर पर **''कड़िया'' (काला) ''पोय'' (मादा) मुर्गी** की भेंट चढ़ाकर किया जाता है।

4.1.2 आजा दादी – पूरखा नाती

बैगा जनजाति के लोग अपने–अपने **''मुड़हर घर''** (मुख्य घर) के एक कोने में अपने ईष्ट देवों एवं पूर्वज देवों का कुछ प्रतीक चिन्ह रख देते हैं। **''आजा दादी–पूरखा नाती''** को अपने पूर्वज देव मानते हैं। उक्त पूर्वज देव में **''कड़िया कुकरा''** (काला मुर्गा) एवं **''करड़ी पोय''** (काली मुर्गी) का भेंट चढ़ाया जाता है।

4.1.3 दूल्हा देव–दुल्ही देवी

दूल्हा देव–दुल्ही देवी की पूजा भी **''मुड़हर घर''** में किया जाता है। आजा दादी एवं पूर्खा नाती के बगल में इनका वास मानते हैं। इन्हें किसी भी रंग के एक मुर्गे की भेंट चढ़ाते हैं।

4.1.4 मसवासी माता

इनका स्थान भी **''मुड़हर घर''** में होता है। माता मसवासी भवानी शिकार करने की देवी माना जाती है, जो **''धनहु – सरे''** (धनुष – बाण) में सवार होकर शिकार के समय जंगल जाती है। बैगा लोग अपने बोली में कहते हैं कि **''मसवासी माता'' को उठा के 'खेदे के'' (शिकार), ''धनहु सरे'' धर के डोंगर (जंगल) जाबो।** अर्थात मसवासी माता को धनुष बाण में सवार करके शिकार करने जंगल जायेंगे। इन्हें लाल **''कुकड़ा''** (मुर्गा) एवं लाल ''पोय'' (मुर्गी) का भेंट चढ़ाया जाता है।

4.1.5 मरा देव

इनका निवास स्थान भी **''मुड़हर घर''** में माना जाता है। इनका सभी देवताओं में अलग और विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि इन्हें विशेष जादुई शक्ति प्राप्त होती है जिससे यह शेर या सांप का रूप धारण कर दुश्मन अर्थात् बुरा करने वाले लोगों को मार सकता है। इसी विशेष जादुई शक्ति के कारण इन्हें जादू–टोना करने वालों का देव माना जाता है। अपने जादुई **शक्ति द्वारा दुश्मनों को मार देने के कारण ही इस देव को**

''मरा देव'' कहते हैं। इनके भी दो प्रकार हैं :–

- सवरा मरादेव – यह घर के अंदर आने वाली विपत्तियों से रक्षा करते हैं।
- बांधारी मरादेव – यह बाहर निकलकर दुश्मनों को मारने की शक्ति रखते हैं।

मरादेव की पूजा विभिन्न त्यौहारों में दो **''सुरा''** बरहा की भेंट चढ़ाकर किया जाता है। बैगा लोग अपने बोली में कहते हैं **''दुई ठो सुरा ले आनहियो रे, घेटा, पटिया'' अर्थात दो सुरा ले आना एक ''घेटा'' (नर) एवं एक पटिया (मादा)।**

4.1.6 नारायण देव/राजा नारायण देव

बैगा लोग बताते हैं कि
''द्वार कर देहड़ी म
ई देव कर जिगह।''

अर्थात घर के दरवाजे में इस देव का स्थान है। यह घर की रक्षा करने वाला देव है। इसमें जिसका पूंछ कटा हो ऐसे सुरा (बरहा) का भेंट चढ़ाया जाता है जिसे **''लाड़ू सुरा''** कहा जाता है। इस देव में भेंट चढ़ाने से पहले वहीं पर **''सुरजा''** नामक देव में लाल **''कुकड़ा''** का भेंट चढ़ाया जाता है।

4.1.7 खुट पाट – दुधिया पाट

इस देव का स्थान **''कोठा''** अर्थात् पशुघर में माना जाता है। यह पशुओं की रक्षा करता है। साथ ही इनकी कृपा से ''गोरू'' (गाय) अच्छा दूध देती है।

''गोरू' जब चरने के लिए जंगल जाते हैं तो **''करू''** नामक देव जंगली शिकारी जानवरों से रक्षा करते हैं।

उक्त देवों में **''कड़रा कुकरा'', ''कड़री पोय''** (काला मुर्गा एवं काली मुर्गी) का भेंट दिया जाता है।

4.1.8 चरवाहा – चरवाहिन

इनका निवास भी **''कोठा''** में माना जाता है। जब गोरू–गाय चरने जाते हैं तो उनके साथ जाकर ये उनकी रक्षा करते हैं।

4.1.9 काड़ी चरोखर

इनका निवास भी **''कोठा''** (पशुघर) मे ंमाना जाता है। जब गाय आदि जानवर चरने जंगल जाते हैं तो कभी–कभी रात में वहीं रूक जाते हैं, उस समय यह देव उनकी रक्षा करते हैं।

4.1.10 बहरवास

इस देव के बारे में कहा जाता है कि

''बाहर कर बहरवास
नंगबंसी बगै सुर पाठ।''

अर्थात् यह देव घर से बाहर रहकर घर में आने वाले खतरे के बारे में बताते है एवं घर से बाहर जाने वालों के साथ जाकर उनकी रक्षा करते हैं। कोई जादू–टोना कर कुछ विपत्ति घर में भेजते हैं, तो उससे भी यह रक्षा करता है। **यह ''बघुवा'' (बाघ) का रूप धारण कर घर के बाहर खड़े होकर रातभर परिवार की रक्षा करते हैं।**

इसमें दो ''कड़िया'' (काला) ''सुरा'' (बरहा) ''घेटा'' (नर) एवं ''पटिया'' (मादा) का भेंट चढ़ाया जाता है।

उक्त सभी देवी–देवताओं की पूजा प्रत्येक वर्ष **''नवाखानी''** के दिन (भादो के अंजोरी के पंचमी) करते हैं। हूम धूप के साथ पूजा करते हैं। प्रत्येक तीन साल में उक्त देवी–देवताओं का विशेष रूप से पूजा किया जाता है जिसे **''ती–साला''** पूजा कहते हैं। यह दिवाली को छोड़कर फाल्गुन त्यौहार (होली) के पहले या बाद के सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को करते हैं। इस दिन पूर्व में उल्लेख अनुसार मुर्गी–मुर्गा, सुरा (बरहा) आदि का भेंट चढ़ाया जाता है।

4.2 प्रमुख त्यौहार

बैगा जनजाति के परम्परागत त्यौहार निम्नानुसार है :–

4.2.1 बीज–बोनी त्यौहार

यह बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पहला त्यौहार है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह नया बीज बोने से पहले मनाया जाता है। यह **जेठ माह में ''अक्ती''** (अक्षय तृतीया) या इसके एक–दो दिन बाद मनाया जाता है। त्यौहार मनाने के एक–दो दिन पहले सभी

इकट्ठा होकर दिन/तिथि निर्धारित करते हैं। निर्धारित तिथि में सभी लोग अपने–अपने घर में उपलब्ध सभी प्रकार के बीज लेकर ग्राम देवी–देवताओं के स्थान जिसे **''ठाकुर देव''** का स्थान कहते हैं वहां एकत्रित होते हैं और अपने साथ लाये बीज को एक टोकरी में इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद बैगा जनजाति का प्रमुख व्यक्ति जो ग्राम देवी–देवताओं की पूजा करता है, जिसे **''देवार''** (देवताओं की पूजा करने वाला व्यक्ति) कहा जाता है उसके द्वारा विधि पूर्वक अनाज के टोकरी को ठाकुर देव के सामने रखकर कुछ मंत्र पाठ किया जाता है उसके बाद महुआ के रस जिसे **''महु डोंगा''** कहा जाता है उसे चढ़ाया जाता है और साथ ही 04 अलग–अलग मुर्गे का भेंट दिया जाता है। भेंट चढ़ाये जाने वाले मुर्गे में से एक **''कड़रा कुकड़ा''** (काला मुर्गा) एवं **''एक कड़री पोय''** (काले रंग की ऐसी मुर्गी जिसने अब तक अण्डा न दिया हो) होता है एवं अन्य दो में से एक **''पंडरा कुकड़ा''** (सफेद मुर्गा) व एक **''पंडरा पोय''** (सफेद मुर्गी जो अब तक अण्डा न दी हो) मुर्गा होता है। इस प्रकार महुआ के रस **''महुं डोगा''** एवं मुर्गे की बलि चढ़ा कर कुछ मंत्र पाठ के द्वारा **बीजों को ''जगाया''** (जागृत) जाता है। इस प्रकार जागृत किये गये बीज में से एक–एक मुट्ठी बीज लेकर सभी अपने–अपने घर लौट जाते हैं और इन बीजों को **''खुडरी''** में डाल देते हैं। खुडरी अनाज रखने का बांस से बना एक बड़ा टोकरी को कहते हैं। इसके बाद दुबारा ठाकुर देव के स्थान पर सभी इकट्ठा होते हैं और आपस में मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद अपने–अपने सुविधानुसार बीज बोने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। बैगा जनजाति के लोग पहले पारंपरिक खेती करते थे जिसमें पहले **''बेवर''** (जंगल) को काटकर छोड़ देते थे और टहनियों के सुख जाने के बाद उसमें आग लगा देते हैं। जले हुए राख में **''मड़िया''** आदि मोटे अनाज को छिड़क देते थे जो बारिश होने पर ऊग आते थे इस प्रकार बिना हल चलाये खेती करते थे जिसे **''बेवर'' (जंगल)** खेती के नाम से जाना जाता है। बैगा जनजाति द्वारा उगाये जाने वाले प्रमुख फसलों के नाम इस प्रकार हैः–

1. धान –

यह एक अनाज है जिसे उबालकर खाया जाता है जिसे ''भात'' कहते हैं। इसके आटे से रोटी भी बनायी जाती है।

2. कोदो –

यह एक मोटा अनाज है। इसका रोटी एवं ''भात'' दोनों बनाया जाता है।

3. कुटकी –

यह भी एक मोटा अनाज है। इसका रोटी एवं भात बनाया जाता है।

4. लोडा –

इसका प्रचलित नाम मक्का है। इसे उबालकर या आग में भुनकर खाया जाता है। साथ ही इसे धूप में सुखाकर सुरक्षित करके भी रख लिया जाता है। बाद में इसके आटे से रोटी बनाया जाता है।

5. राहड़ –

इसका प्रचलित नाम अरहर है। इसका दाल के रूप में उपयोग किया जाता है।

6. सलहार –

यह कोदो जैसा ही एक मोटा अनाज है।

7. कांग –

यह भी एक अनाज है जिसकी बाली धान एवं बीज सरसों के दाने जैसा दिखता है। यह भी बिना हल चलाये ऊगाये जाने वाला फसल है।

8. मंदिया –

यह भी एक प्रकार का अनाज है जिसका बीज सरसो के दाने जैसा होता है। इसका रोटी बनाया जाता है। इसमें औषधी गुण होता है जिसे ''जचकी'' (प्रसव) के समय प्रसुता को खिलाया जाता है।

9. सावा –

यह भी एक अनाज है। इसका ''पेज'' (गीला भात) बनाया जाता है। बताया जाता है कि इसका खीर बहुत अच्छा बनता है।

10. ज्वार / बाजरा –

इसका रोटी बना कर खाया जाता है।

11. सिकिया –

यह भी अनाज है जिसका ''भात'' बनाकर उपयोग किया जाता है।

12. झुझरू –

यह एक प्रकार का दाल है।

13. रवास –

इसका प्रचलित नाम झुरगा है। सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है।

14. डांग रवास –

प्रचलित नाम लाल झुरगा है। सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है।

15. तुमा –

प्रचलित नाम लौकी है। सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है।

16. बेदरा –

इसका दाल के रूप में उपयोग किया जाता है।

17. उड़िद –

दाल के रूप में उपयोग किया जाता है।

18. कोड़य –

यह सेमी जैसा दिखाई देता है। सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है।

4.2.2 हरेली –

हरेली त्यौहार का बैगा जनजाति में विशेष महत्व है। यह त्यौहार कब मनाया जाता है इस बारे में बैगा लोग कहते हैं **''यह आषाढ़ के भगती एवं सावन के लगती''** अर्थात आषाढ़ माह के अंत एवं सावन माह के शुरूवात होने के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार अच्छे फसल होने की कामना के लिए मनाया जाता है। इसके लिए इस दिन **''करगी काटा''** (बावा लट्टी), **''बांस टाड़''**, **''भेलवा टाड़''** **''हसिया ढेपुर टाड़** (सभी स्थानीय नाम है) आदि के डगाल से जहां–जहां फसल लगी है वहां **''मंडुवा''** (मड़वा / मण्डप) बनाकर नये कुवारी धान एवं अनाज का हुम–धूप, नारियल या बेल चढ़ाकर विवाह कराते हैं। इससे यह माना जाता है कि अच्छे अनाज उत्पन्न होंगे।

हरेली का त्यौहार बैगा जनजाति में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसी दिन से ये अपने पारंपरिक नृत्य एवं गान की शुरूआत करते हैं एवं अभ्यास इस दिन से प्रारंभ किया जाता है।

4.2.3 देवली त्यौहार –

यह **''भादो''** माह में **अंजोरी के पंचमी के दिन मनाया जाता है।** यह फसल को बीमारी, कीट आदि के प्रभाव से बचाने के लिए **''हूम बैगा''** द्वारा एक–दो लोगों के सहयोग से किया जाने वाला एक प्रकार का अनुष्ठान है। इस दिन **''हूम–बैगा''** (देवी–देवताओं की पूजा करने वाला) सभी के खेत से एक–एक पौधा इकट्ठा कर हूम–धूप के द्वारा इसे जागृत करते हैं उसके बाद सभी को एक–एक पौधा दिया जाता है जिसे बैगा लोग अपने–अपने **''डोलियन''** (खेत) में फिर से लगा देते हैं। ऐसा करने से इनमें यह मान्यता है कि फसल में बीमारी व कीट आदि नहीं होता है जिससे अच्छे फसल की पैदावार होती है।

4.2.4 बाल बाधन –

इस त्यौहार को भादो माह के अंजोरी के पाच चंदा अर्थात **पंचमी के दिन से मनाने की शुरूआत करते हैं।** इस दिन **''हूम''** बैगा द्वारा सभी के खेत से एक–एक धान की बालि लाकर पहले उसे ''जगाया'' (जागृत) जाता है और उसके बाद सभी के घर के दरवाजे में एक–एक धान की बालि बांध देता है। **यह त्यौहार धान की नई फसल आने के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है।**

4.2.5 नवा खावन या नवाखाई

''नवा खावन'' या **''नवाखाई''** का **त्यौहार बाल बांधन के दिन** या इसके एक–दो दिन बाद मनाया जाता है। मुख्य रूप से जब धान की नई फसल पक कर तैयार हो जाती है तो सबसे पहले अपने ईष्टदेवों को नये फसल से पकवान बनाकर चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही वे इसका स्वयं के खाने के लिए उपयोग करते हैं।

''नवा खावन'' या **''नवाखाई''** के दिन सबसे पहले घर का मुखिया सुबह **''डोंगर''** (जंगल) से **''मोहलाईन पान''** नामक पत्ता तोड़कर लाता है और वापस आते समय रास्ते के नदी, तालाब या झरिया से नहाते हुए आता है। वापस आने के बाद **''ककड़ी''** (खीरा),

''डेंगरा'' (फूट) ''पिहटी'' (बुदेला) **''लोडा''** (मक्का), **''कुमदा''** (कुम्हड़ा) आदि के फूल एवं सभी प्रकार के नये अनाज या नये अनाज न मिलने पर उसके पत्ते को एकत्रित करते हैं और पुराने उड़िद के दाल में मिलाकर दाल पकाया जाता है। इसी प्रकार नये धान के चावल से रोटी, खिचड़ी एवं भात बनाते हैं। इसके बाद चावल आटे से ईष्टदेवों के स्थान पर ''चौक'' बनाया जाता है जिसके प्रत्येक खाने में मोहलाईन पान रखकर उसके ऊपर पके हुए खिचड़ी या भात और थोड़ा–थोड़ा दाल रखकर हूम–धूप देकर सभी देवताओं के नाम पर चढ़ाया जाता है। साथ ही धान के पत्ता, लोडा के भूंजे दाने, ककड़ी का टुकड़ा एवं एकत्रित किये सभी फूल भी थोड़ा–थोड़ा चढ़ाते हैं। उक्त चढ़ावा जिसे **''चेरवा''** कहा जाता है के साथ एक–दो बूंद **''महु डोंगा''** (महुआ का रस) या ''मंद'' (महुआ का शराब) भी चढ़ाया जाता है। इसके बाद स्वयं भी एक–एक कप ''मंद'' पीते हैं और परिवार के सभी लोग मिलकर उक्त ''चेरवा'' (चढ़ावा) को प्रसाद के रूप में खाते हैं। जिनके परिवार में किसी महिला को मासिक धर्म आया हो तो उनके परिवार को **''अंधार घर''** मानते हैं और उनके परिवार में नवा खावन का त्यौहार मासिक धर्म के शुद्धिकरण हो जाने के बाद मनाया जाता है।

नवाखावन या नवाखाई के दिन शाम को बच्चे एवं महिलाएं मिलकर **''रीना''** नामक लोक गीत गाते हैं।

4.2.6 देवाड़ी त्यौहार (दीपावली त्यौहार)

यह त्यौहार कार्तिक माह के अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन चावल आटे का 40–50 दीया और एक प्रकार का रोटी बनाते हैं जिसे **''मुठिया''** रोटी कहते हैं। घर के सभी देवी–देवताओं के स्थान, कोठी–कोठा, खेत–डोली, कुआ आदि स्थानों पर एक–एक दीया जलाया जाता है। दीया जलाते समय **''महु के चुहड़ी''** (महुआ का रस) चढ़ाया जाता है। अपने घर में दीया जला लेने के बाद घर का एक लड़का थाली में दिया रखकर दूसरे बैगा लोगों के घर जाकर वहां भी एक–एक दिया जलाता है। उसके वापस आने तक ''मुठिया'' रोटी भाप में पक चुका होता है जिसे परिवार के सभी लोग मिलकर खाते हैं।

इसी दिन रात में बारी–बारी से सभी लोगों के घर जाकर नृत्य करते हैं जिसे **''देवाड़ी नाच''** के नाम से जाना जाता है। देवाड़ी नाच में शामिल लोगों को ''नचनहिया'' कह कर

संबोधित किया जाता है। जब ये ''नचनहिया'' लोग नृत्य करने किसी के घर पहुंचते हैं तो घर वाले एक थाली में चावल, दीया, अगरबत्ती और लोटा में पानी लेकर सबसे पहले अपने ''गौ लक्ष्मी'' (गाय–बैल) की आरती करते हैं उसके बाद ''नचनहिया'' लोगों की आरती कर उनका स्वागत करते हैं। जिसके बाद ''नचनहिया'' लोगों द्वारा कुछ समय तक वहां नृत्य किया जाता है। नृत्य के अंत में थाली में रखे चावल व रूपया को अपने चढ़ोतरी के रूप में रख कर दूसरे घर में नृत्य करने चले जाते हैं। इस आरती के दीये को घर के देवी–देवताओं के स्थान पर रख दिया जाता है ''नचनहिया'' लोगों के समूह में एक व्यक्ति लाठी रखा होता है उसे **''ठेगन के रोखो''** के रूप में **''लोडा'' ''जोधरी''** दिया जाता है।

अगले दिन ''गौ लक्ष्मी'' का पूजा किया जाता है और उन्हें एक प्रकार का खिचड़ी भात खिलाया जाता है जिसे **''राउंदा भात''** कहा जाता है। इस दिन सुबह अविवाहित लड़के गौ लक्ष्मी के नाम से उपवास रखते हैं जिसे **''मोहनी या मोहनिया''** उपवास के नाम से जाना जाता है। महिलाएँ चावल एवं ''रवास'' नामक दाल में पांच प्रकार के कांदा को मिलाकर **''राउंदा भात''** (खिचड़ी भात) बनाते हैं। इसमें मिलाये जाने वाले कांदा का नाम है **''गिट कांदा''**, **''डांग कांदा''**, **''रताऊल कांदा''**, **''जिमी कांदा''** एवं **''कोचई कांदा''**। खिचड़ी भात पक जाने के बाद पहले अपने–अपने घरों में गौ लक्ष्मी को खाना खिलाते हैं और उसके बाद स्वयं भी इसी खिचड़ी भात को खाते हैं। जिसके बाद सभी अपने–अपने घरों से गौ लक्ष्मी को ले कर गौठान में इकट्ठा होते हैं जहां पर जिन लड़कों द्वारा मोहली उपवास रखा गया है उनके द्वारा हूम–धूप देकर गौ लक्ष्मी की पूजा किया जाता है और फिर से वहां गौ लक्ष्मी को खिचड़ी भात खिलाया जाता है। इसके बाद उत्सव स्वरूप एवं एक खेल के रूप में **''ढेपला''** नामक वाद्ययंत्र बजाकर गौ लक्ष्मियों को डरा कर इधर उधर भगाने का प्रयास किया जाता है, जिससे ये गौ लक्ष्मी डर कर खेतों में घुस जाती है। इस दिन कोई भी गौ लक्ष्मी को अपने खेतों से नहीं भगाते हैं वह किसी के फसल को भी खा सकती है।

4.2.7 छेरता त्यौहार

यह त्यौहार माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह नये फसल से अनाज इकट्ठा होने की खुशी में मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने के लिए गांव का मुखिया आवाज

लगाकर सभी को सूचना देता है कि **''गांव के सब लइका, बाल बच्चा, युवक–युवती, महिला सब आज छेरता मान लियो हो.....।''** इसके बाद सुबह लगभग 8–9 बजे सभी अपने–अपने घरों में कुछ चिन्ह या घर के चारों ओर **''चौका''** (चावल आटे से) बना लेते हैं जिसे **''छापा''** बनाना कहते हैं। इसके बाद आंगन में जो कोई भी आता है उसे थोड़ा–थोड़ा धान देते हैं। धान मांगने वाले बारी–बारी से सभी के घर जाकर धान मांगते हैं और इकट्ठा हुए धान को कुट–पीस कर शाम को उसका रोटी बनाते हैं।

यहां उल्लेखनीय है कि धान मांगने की प्रक्रिया में **मामा–फुफु के लड़का और लड़की के बीच बहुत ही रोचक परिहास का संबंध दिखाई देता है** और वह यह है कि मामा–फुफु के रिश्ते में जिनके घर लड़की है वह पहले से ही खाना बनाने के बर्तन का जला हुआ काला पदार्थ जिसे **''कडहोन्ज''** कहते हैं इकट्ठा करके रखती हैं और जो इस रिश्ते में से लड़का है वह धान मांगने आता है तो उसे इस काले पदार्थ (कडहोन्ज) को लगा देती है। अर्थात् उसके चेहरे को काला कर देती है। यह केवल एक परिहास के रूप में किया जाता है।

इस त्यौहार में एक अन्य रोचक परम्परा यह है कि इकट्ठा किये धान को कूट–पीस कर रात में लड़कियां लोग चंदा (चांद) को खिलाने के लिए रोटी बनाते रहते हैं उस समय कुछ लड़के कौआ बनकर वहां रोटी चुराने का प्रयास करते हैं जिसे लड़कियां चुल्हे में जले लकड़ी से फेक कर मारने का प्रयास करते हैं। यह एक हास–परिहास के रूप में लड़का एवं लड़कियों द्वारा खेला जाने वाला खेल है। अंत में सभी मिलकर रोटी खाते हैं।

4.2.8 फागुड़ त्यौहार या फाग तिहार

इस त्यौहार में फागुन के अंजोरी के दशमी के दिन सबसे पहले सेमहर पेड़ के पास जाकर **''दाड़–कोदय''** (दाल–चावल) लेकर पूजा करते हैं और विनती करते हैं कि **''हे सेमर महराज तुहर नान–नान थांगहा लेगथन''** अर्थात् सेमहर पेड़ से विनती करते हैं कि आपके छोटे–छोटे डंगाल हम ले जा रहे हैं और दो डंगाल को काटकर अपने साथ ले आते हैं और दोनों डंगाल को गाड़ कर एक **''माय''** (बड़ा) एवं एक **''छोवा''** (छोटा) होलिका बनाते हैं और वहां जंगल व अपने घरों से सुखा लकड़ी लाकर कुछ दिनों तक इकट्ठा करते रहते हैं। जिस दिन होली जलाया जाता है, उस रात लगभग 3–4 बजे सबसे पहले युवक लोग जाकर छोटी

होली को जलाते हैं और **''होली ले......होली ले''** की आवाज करते हैं जिससे गांव के बड़े लोग भी धीरे–धीरे वहां आकर इकट्ठा होने लगते हैं। जब सब लोग आ जाते हैं तब माय होली को जलाया जाता है एवं मांदर, टिमकी बजाकर फाग गीत गाते हुए इस **''होले का सेवन''** होली की सुबह होते तक सेवा करते हैं। इसके बाद सब अपने–अपने घर को लौट आते हैं। कुछ देर बाद होली जलाये स्थान से थोड़ा–थोड़ा राख लेकर अपने गांव के मुखिया के घर जाकर इस राख से होली खेलते हैं जिसके बाद परसा (पलाश) के फूल से बनाये गये रंग से सभी पुरूष–महिला एवं बच्चे एक–दूसरे को रंग लगा कर बड़े उल्लास के साथ इस फाग तिहार को मनाते हैं। इस त्यौहार में अपने घर आये पुरूषों को महिलाए **''डांग मारती हैं''** (एक लम्बे डण्डे से मारती हैं।) जिसके बदले पुरूष द्वारा उन्हें कुछ रूपया दिया जाता है जिससे वे महिलाएं डांग मारना बंद करती हैं।

इस दिन एक विशेष प्रकार का नृत्य भी किया जाता है जिसमें कुछ पुरूष लोग लकड़ी से बने मुखौटा पहनते हैं जिन्हें **''खेखड़ा''** कहा जाता है इसी प्रकार किसी एक महिला को भी लकड़ी से बने मुखौटा पहना दिया जाता है जिसे **''खेखड़ी''** कहते हैं। इस प्रकार मुखौटा पहनकर किये जाने वाले नृत्य को **''खेखड़ा नाच''** के नाम से जाना जाता है।

फागुड़ तिहार या फाग तिहार बैगा लोग इसी प्रकार लगभग 13 दिनों तक मनाते हैं जिसमें एक–दूसरे को रंग लगाना, महिलाओं द्वारा डांग मारना एवं **''खेखड़ा''** नाच शामिल होता है।

4.2.9 रस नवा खाई

रस नवा खाई नामक त्यौहार बैगा जनजाति द्वारा मनाये जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार हैं यह त्यौहार प्रत्येक 06 वर्ष में मनाया जाता है। बैगा जनजाति द्वारा कहा जाता है कि यह 8 बरस 9 कातिक में मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से **''मोहरस''** (मधुरस) की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। इनमें ऐसी मान्यता है कि **''मोहरस''** (मधुरस) हजारों पेड़–पौधों के रस से बना होता है। इसलिए **''मोहरस''** की पूजा करना अर्थात् प्रकृति की पूजा करना है, जिससे प्रकृति में विराजमान सभी देवी–देवता प्रसन्न होते हैं। **''मोहरस''** की पूजा नहीं करने से प्रकृति के देवी–देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराजगी के कारण उन्हें शेर–भालू खा जाते हैं।

''मोहरस'' की पूजा 9 कुंवारे लड़के एवं 9 कुवारी लड़की द्वारा किया जाता है। जो पूजा करने के लिए एक निश्चित स्थान को गोबर से लीपकर वृत्ताकार नौ **''खोली''** (घर) बनाते हैं। उक्त खोली केवल **''मोहती डार''** (डारा) नामक वृक्ष से डंगाल से खींचकर बनाया जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक खोली में एक लड़का एवं एक लड़की द्वारा मोहरस को कुटकी के साथ पकाया जाता है। इसमें विशेष बात यह है कि **''कुटकी''** उसी डोंगर (जंगल) का ऊगा हुआ होना चाहिए जहां हल न चलाया गया हो अर्थात् बिना हल चलाये **''डोंगर''** में उत्पन्न कुटकी के साथ **मोहरस** को पकाया जाता है। इसी प्रकार **मोहरस** पकाने की विधि में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसे बिना बर्तन के पकाया जाता है। बर्तन के स्थान पर बांस का उपयोग किया जाता है। बांस के पोर में लगभग एक चौथाई हिस्से तक **मोहरस** एवं **कुटकी** को भरकर बुझते हुए अंगार में अर्थात् धीमें आंच में पकाते हैं।

अध्याय – 05
जीवन संस्कार

जनजातीय लोगों में जन्म, विवाह एवं मृत्यु जिसे हम जीवन संस्कार कहते हैं इनका विशेष महत्व है और इन संस्कारों को सम्पन्न करने के लिए अलग–अलग जनजातियों में कुछ विशिष्ट प्रतिमान पाये जाते हैं। प्रस्तुत अध्याय में सर्वेक्षित बैगा जनजाति में इन जीवन संस्कार से संबंधित विभिन्न रीति–रिवाज, निषेध एवं अन्य प्रचलित प्रतिमानों के विषय में उल्लेख करने का प्रयास किया गया है।

5.1 विवाह संस्कार

सर्वेक्षित बैगा जनजाति के सदस्यों द्वारा बताये अनुसार इनमें विवाह संस्कार से संबंधित अनेक रिवाज पाये जाते हैं। बैगा जनजाति में विवाह की पहल वर पक्ष द्वारा किया जाता है। मामा–फुफु के रिश्ते में विवाह योग्य वर–वधु होने पर इसे प्राथमिकता दी जाती है। अन्यथा अपने नात–रिश्तेदारों में विवाह योग्य लड़की ढूंढा जाता है। स्वयं के गोत्र के अलावा अन्य गोत्र में विवाह किया जाता है। लड़की पसंद आने पर लड़के को दिखाने के लिए ले जाते हैं। लड़का–लड़की दोनों एक–दूसरे को पसंद आ जाने पर दिन तय करके सभी सियान मिलकर रिश्ता तय करने जाते हैं। रिश्ता तय हो जाने पर एक **''फलदान''** नामक कार्यक्रम लड़की के घर में करते हैं जिसमें दोनों पक्ष के रिश्तेदारों के समक्ष कुछ रस्म संपन्न कराया जाता है। **इसमें मुख्य रूप से लड़के के पैर में लड़की को बैठाकर उसे हल्दी लगाया जाता है**

जिसके बाद लड़का एवं लड़की एक–दूसरे को **''छुटा''** नामक माला पहनाते हैं। लड़का एवं लड़की के मामा के बेटा एवं बेटी इस कार्य में उनका सहयोग करते हैं जिन्हें **''सुवासा–सुवासिन''** कहा जाता है। इनके सहयोग से लड़का एवं लड़की सभी बड़ों का पैर छूकर आर्शीवाद लेते हैं। अंत में दोनों के सखा एवं

सहेली इनको नृत्य कराते हैं। सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं जिसके बाद कार्यक्रय सम्पन्न हो जाता है। सर्वेक्षित बैगा जनजाति में विवाह कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए स्वजाति एवं जानकार व्यक्ति को मुखिया बनाया जाता है जिसे **''दोषी''** कहा जाता है। वर–वधु को सहयोग करने का कार्य मामा के बेटा–बेटी द्वारा किया जाता है जिन्हें **''सुवासा–सुवासिन''** कहा जाता है। समाज द्वारा तय तारीख अनुसार सबसे पहले लड़के के घर में विवाह कार्यक्रम की शुरूआत होती है जबकि लड़की के घर में विवाह कार्यक्रम बारात पहुंचने के बाद शुरूवात की जाती है। विवाह कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए घर के आंगन में चार प्रकार के वृक्ष के डंगाल से **''मड़वा''** (मंडप) बनाया जाता है। इन चार वृक्ष के डंगाल को एक साथ **''चार सजन''** कहा जाता है। **''मड़वा''** (मंडप) के नीचे बीचो–बीच मिट्टी का एक छोटा चबुतरा बनाया जाता है, जिसके ऊपर मिट्टी के कलश एवं दीया रखा जाता है। इसी चबुतरे के पास लड़के को बैठाकर पहले तेल लगाते हैं और उसके बाद हल्दी लगाया जाता हैं। तेल–हल्दी लगाने का कार्य परिवार के सभी सदस्यों एवं जात रिश्तेदारों द्वारा बारी–बारी से किया जाता है। बीच–बीच में लड़के को अपने गोद में उठाकर नृत्य भी किया जाता है। वधु को दिये जाने वाले समानों में वर द्वारा हल्दी छिड़का जाता है। अंत में लड़के को नहलाकर बारात जाने के लिए तैयार करते हैं। सभी नाते–रिश्तेदार (महिला–पुरूष) मिलकर बारात जाते हैं।

बारातियों को लड़की के गांव पहुंचने पर उन्हें एक स्थान पर ठहराया जाता है उस स्थान को **''जनवासा''** कहा जाता है। इसके बाद लड़के पक्ष द्वारा लाये गये **''सुकसारी''** **''सुकधन''** **''वधुमूल्य''** एवं **''तेल–हल्दी''** को वधु पक्ष को देने के बाद लड़की को भी तेल–हल्दी लगाने का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तब तक बाराती लोग जनवासा में रूककर लड़की के घर का तेल–हल्दी का कार्यक्रम संपन्न होने का इंतजार करते हैं। तेल–हल्दी का कार्यक्रम घर में संपन्न हो जाने के बाद बारातियों के स्वागत के लिए लड़की को साथ लेकर जनवासा तक जाते हैं। वहां दोनों पक्ष के दोषी, परिवार के सदस्यों एवं नात–रिश्तेदार मिलकर परम्परागत रूप से धार्मिक कर्म–काण्ड संपन्न करते हैं। इस दौरान दोनों पक्ष के युवक–युवतियों द्वारा समूह में रोचक नृत्य किया जाता है। लड़का–लड़की के माता–पिता एक–दूसरे को हल्दी का लेप लगााया जाता हैं एवं धार्मिक अनुष्ठान के साथ–साथ दोनों पक्ष के सदस्यों को महुआ से बनी शराब थोड़ी–थोड़ी मात्रा में पिलाया जाता है। अंत में सभी मिलकर नृत्य करते हुए बारातियों का स्वागत कर लड़की के घर लाया जाता हैं। इसके बाद

दोनों पक्ष मिलकर भोजन करते हैं। उक्त कार्यक्रम संपन्न होते तक प्रायः रात हो जाती है। फिर रातभर विवाह से जुड़ी विभिन्न रस्मों को बारी–बारी से संपन्न कराया जाता है। जिसमें मुख्य रूप से वर–वधु के **''गठ–जोड़''** (गठबंधन) एवं **''बदावन''** (टीकावन) नामक कार्यक्रम संपन्न होता है, जिसमें नाते–रिश्तेदार अपने समर्थ अनुसार दोनों को कुछ उपहार भेंट करते हैं।

सुबह विदाई का कार्यक्रम होता है। विदाई से पहले लड़की पक्ष वाले वधु को कहीं छुपा देते हैं और वर पक्ष द्वारा बार–बार विदाई मांगने पर यह कहा जाता है कि वधु को स्वयं ढूंढ लो हम विदाई कर देंगे। अंत में वर पक्ष द्वारा पुनः शराब देने का प्रस्ताव रखा जाता है, जिसे दोनों पक्ष द्वारा प्रेमपूर्वक पीया जाता है और अंत में वधु की विदाई कर दी जाती है।

वधु की विदाई के बाद उसकी याद में लड़की के घर वाले **''दघरिया''** नामक गीत गाते हुए उसे याद करते हैं। अगले दिन लड़की के घर वाले नात–रिश्तेदार मिलकर लड़के (वर) के घर जाते हैं जिसे **''चौथिया''** जाना कहा जाता है। इस दिन वर पक्ष वाले भी बड़े आदर पूर्वक सभी का स्वागत करते हैं और दोनों पक्ष मिलकर आनंदपूर्वक शराब एवं मांसाहारी भोजन आदि का लुप्त उठाते हैं।

बैगा जनजाति में वर–वधु को लगाया जाने वाला तेल पारंपरिक विधि से तैयार किया जाता है। इसके लिए **''रामतिल''** जो तिल का ही एक प्रकार है, उससे तेल निकाला जाता है। तेल निकालने के लिए एक विशेष प्रकार के घास का उपयोग किया जाता है जिसे **''तिरबाहरी''** के नाम से जाना जाता है। इस तेल को जब वर–वधु को लगाया जाता है, तो तीर को उनके सिर के ऊपर खड़ा रखकर ऊपर से धीरे–धीरे गिराया जाता है।

बैगा जनजाति में विवाह के समय अनेक लोकगीत गाये जाते हैं एवं नगाड़े की थाप पर नृत्य किया जाता है। इन लोकगीत एवं लोकनृत्य को **''बिरहा''**, **''बिलमा''** एवं **''ददरिया''** आदि नामों से जाना जाता है। उक्त के अलावा एक–दो महिलाओं द्वारा इस अवसर पर गीत भी गाया जाता है, जिसे **''गीतकारिन''** गीत कहा जाता है।

बैगा जनजाति में विवाह के दौरान लड़का एवं लड़की पक्ष द्वारा कई बार हसी–ठिठोली का अवसर आता है। इसमें से एक तो जब बारात लड़की के गांव पहुंच जाती है, तो लड़की पक्ष वाले दो–तीन घंटों तक उन्हें रोके रखते हैं, बार–बार कहने पर भी उनके स्वागत की तैयारी नहीं करते हैं। बीच–बीच में एक–दो बुजुर्ग व्यक्ति आ कर लड़के पक्ष वालों से **''जनऊला''** (पहेली) पूछने आते हैं और लड़का पक्ष द्वारा जवाब नहीं दे पाने पर दो–तीन बॉटल दारू का दण्ड देकर चले जाते हैं। इसी प्रकार लड़की के बिदाई के समय भी जानबुझ

कर देरी करते रहते हैं। कई बार तो लड़की को किसी दूसरे के घर छुपा भी देते हैं और लड़के पक्ष द्वारा विदाई मांगने पर लड़की उनके पास नहीं है कह देते हैं। आप लोग ढूंढ लो और ले जावो ऐसा भी कहते रहते हैं। अंत में लड़की ढूंढने के लिए लड़के पक्ष द्वारा कुछ लोगों को चार–पांच बोतल शराब दिया जाता है तब उन लोग लड़की को लेकर आते हैं।

5.2 जन्म संस्कार

सर्वेक्षित क्षेत्र के बैगा जनजाति द्वारा जन्म संस्कार बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर किये जाने वाले संस्कार को **''छट्ठी''** कहा जाता है, जो इनके द्वारा छः दिन में न करके प्रायः दो या तीन महीने बाद अपनी सुविधानुसार किया जाता है। शिशु जन्म के साथ ही परिवार को अशुद्ध माना जाता है, जो ''छट्ठी'' कार्यक्रम होने के बाद शुद्ध हुआ माना जाता है। इस अशुद्धि के दौरान इनके द्वारा कोई धार्मिक क्रियाकलाप या अपने ईष्ट देवों की पूजा नहीं किया जाता है। इस प्रकार ''छट्ठी'' नामक कार्यक्रम परिवार के शुद्धिकरण का कार्यक्रम है। इसी दिन बच्चे का नामकरण उसके माता–पिता या घर के अन्य बुजुर्ग सदस्यों द्वारा किया जाता है।

बैगा जनजाति में शिशु जन्म के समय नाल काटने वाली महिला को उनकी बोली में **''गौजी''** कहा जाता है जिसे हम **''सुईन''** के नाम से जानते हैं। नाल काटने के लिए एक धारदार औजार का उपयोग किया जाता है जिसे सामान्य बोलचाल में **''हसिया''** कहते हैं जिससे धान या घास आदि काटा जाता है। इस दिन **कोदो, उड़ददाल, हल्दी, नमक** आदि को एक साथ मिलाकर खिचड़ी भात बना कर प्रसुता को खिलाया जाता है। तीन या चार दिन बाद जब शिशु का नाल सुखकर झड़ जाता है तो झड़े हुए नाल को घर के दीवार में मिट्टी से छबाई कर दबा देते हैं। प्रसुता को पारंपरिक जड़ी–बूटी को उबालकर दवा के रूप में पिलाया जाता है जिसे **''ओखद''** कहते हैं।

बैगा जनजाति में ऋतुवती या मासिक धर्म आयी लड़की या महिला को अशुद्ध माना जाता है और इसलिए उसे बिस्तर से अलग जमीन में सुलाया जाता है खाना भी अलग ही दिया जाता है। पांच या छः दिन बाद नदी या नाले से नहा कर हल्दी मिला हुआ तेल लगाने के बाद उसे शुद्ध माना जाता है। अशुद्धी के समय अनेक निषेधों का पालन भी किया जाता है। मुख्य

रूप से **''रांधे खोली''** (रसाई घर) में प्रवेश करना, ''कोठा'' (पशुघर) में प्रवेश करना एवं **गोबर** आदि निकालना मना रहता है। इसी प्रकार घर के **''कोठार''** में यदि धान रखा हो तो वहां भी जाना मना रहता है।

प्रायः 12–13 वर्ष की उम्र में किसी लड़की को पहली बार मासिक स्त्राव होने पर उसके शुद्धिकरण के लिए एक विशेष नेंग किया जाता है। इसमें पांचवे या छठवे दिन घर के बाड़ी या पास के खेत में किसी पेड़ की **''ठूठ''** (कटा हुआ तना) के पास 2 छिन नामक पतली डंगाल, 2–3 पान या पत्ता एवं 2 दातुन लेकर जाती है और वहां पहुंच कर इस **''ठूठ''** में तीन बार चढ़ना–उतरना किया जाता है और अंत में अपने साथ ले गये उक्त समानों को वहीं छोड़कर नदी–नाले से नहाकर घर वापस आ जाती है और तेल–हल्दी मिला हुआ तेल लगाने से शुद्ध हुआ मान लिया जाता है।

गर्भावस्था के दौरान चन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहण पड़ने पर शिशु एवं गर्भवती को ग्रहण के दुष्परिणाम से बचाने के लिए ग्रहण समाप्त हाने के बाद गर्म पानी से नहलाया जाता है।

5.3 मृत्यु – संस्कार (मादी)

बैगा जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर जाति समाज के कोटवार द्वारा सभी स्वजाति सदस्यों को इसकी सूचना दी जाती है साथ ही नजदीकी रिश्तेदारों को भी सूचना दी जाती है। बैगा जनजाति में शव को जलाने की प्रथा है किन्तु किसी का आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना या माहामारी से मृत्यु होने पर अथवा बच्चे या अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने या किसी गर्भवती महिला की मृत्यु होने पर उसके शव को दफनाया जाता है। तीन दिन, पांच दिन या नौ दिन तक परिवार में शोक मनाया जाता है। पहले दो–तीन माह तक शोक मनाया जाता था। शोक के दौरान मृतक के परिवार में भोजन नहीं पकाया जाता है। स्वजातीय सदस्यों द्वारा उस परिवार के भोजन का व्यवस्था किया जाता है। परिवार के शुद्धिकरण के कार्यक्रम को इनकी बोली में **''मादी''** कहा जाता है। इस दिन घर का लिपाई किया जाता है एवं कपड़ों को धोया जाता है। साथ ही ''समधी'' के रिश्ते द्वारा परिवार के पुरूष सदस्यों का मुण्डन किया जाता है। पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी का चुड़ी उतार लिया जाता है। सभी लोग तालाब या नदी में स्नान कर घर वापस आ जाते हैं और घर के आंगन में एक कतार में बैठ जाते हैं, जहां तेल में हल्दी मिलाकर थोड़ा–थोड़ा सबको दिया जाता है जिसे सभी अपने हाथ एवं पैर में लगाते हैं। इसके बाद ''तूमा'' में शराब भरी जाती है। जिसे एक–एक दोना देकर सभी को बांट दिया जाता है। अंत में मृत–आत्मा को थोड़ा भोजन देकर सभी लोग भोजन करते हैं।

अध्याय–06
सामाजिक – संरचना

सामाजिक संरचना का मुख्य आधार जाति, उपजाति, गोत्र, परिवार एवं नातेदारी है जिससे आधार पर किसी जाति में संगठनात्मक एकता पायी जाती है।

6.1 जाति :–

प्रत्येक जाति में स्वजाति सदस्यो के लिए प्रेम, सौहाद्र, सहयोग एवं लगाव की भावना पायी जाती है। सर्वेक्षित बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी या जनजाति है जिसे भारत सरकार द्वारा छ.ग राज्य कि लिए विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। बैगा जनजाति अपने जाति नाम की व्युत्पत्ति के संबंध में बताते है कि उनकी उत्पत्ति नागा बईगा एवं नागा बईगिन के द्वारा हुआ है, इसलिए उन्हे बैगा कहा जाता है।

6.2 गोत्र

सर्वेक्षित बैगा जनजाति सदस्यों द्वारा बताये अनुसार इनमें 150 से अधिक गोत्र पाये जाते है। इनके गोत्र नाम के अंत में **''या''** अक्षर जुड़ा होता है। जैसे –

सरड़िया	जिंलगिया	निगुनिया	उदोरिया
देवड़िया	अमठुरिया	अमुड़िया	अमदरिया
अढुड़िया	ओदरिया	उफड़िया	कड़मिया
कचनरिया	करकुटिया	करकढिया	करपिया
कुकरिया	कुमनिया	कुसरिया	कुड़ोपनिहा
केंवटिया	खनिहा	खमिहा	खोहड़िया
गोंदिया	गुठुलिया	घटिया	घंघरिया
घुटिया	घोड़दरिया	चन्दरनिया	चड़चड़िहा
चंवरिया	चिठुड़िया	चिखलिया	जजुलिया
जड़ैहा	जिलंगिया	झिमुड़िया	तवलपनिहा
तेलसिया	ढोंढिया	दरड़िया	देवड़िया
धनरोसिया	धुड़िया	धोबिया	नदिया
नवासिया	नंगवसिरा	निंगुनिया	पलंगरिया
पचगया	पलथुरिया	पड़िया	पड़सिया
पटनिया	पंडुड़िया	बगदरिया	बरिया
बडदैहा	बरड़िया	बरथनिया	बबुड़िया

बढ़घटिया	बरंगिया	बढ़हई	बसिया
बुंदरिया	भैनिया	भुसंडिया	भुरकुंडिया
मछिया	मड़िया	मसनिया	मंडैहा
मुंडकिया	मोंहोंगिया	मोहतड़िया	रठुड़िया
रसिया	लफिया	लखिया	लमुठिया
लठुड़िया	सरड़िया	सड़िया	समरदैहा
सरडंगिया	सतरंगिया	सुटकुरिया	सुरखिया
कोर्चो	कोल्वा		

बैगा जनजाति में सगोत्र विवाह नहीं होते हैं, अर्थात् एक गोत्र के व्यक्ति आपस में भाई–बहन माने जाते है क्योकि उनके पूर्वज एक ही माने जाते है। प्रत्येक गोत्र का टोटम या गोत्रचिन्ह की अवधारणा इनमे पायी जाती है। किन्तु इसकी जानकारी वर्तमान में लगभग भुल चुके हैं।

6.3 नातेदारी :–

नातेदारी को मुख्य रूप से दो भागों में बाटा जाता है। पहला रक्त संबंधी नातेदारी जिसमे माता पिता व उनके बच्चे, भाई – भाई, भाई –बहन, पिता के भाई एवं उनके बच्चे, पिता के पिता आदि आते है एवं दूसरा विवाह संबंधी नातेदारी, जिसमें किसी लड़का व लड़की के विवाह के बाद दोनो परिवार के सभी रिश्तेदार आपस में संबधी बन जाते है। इन्हे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आदि नातेदार में बाँटा जाता है। प्रत्येक नातेदार के लिए अलग–अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। पति– पत्नि एक दुसरे को बच्चों के नाम से संबोधित करते है जिसे माध्यमिक संबोधन कहते हैं। सर्वेक्षित बैगा जनजाति में प्रमुख नातेदार के शब्द निम्नांकित है।

क्र.	विवरण	बैगा जनजाति में प्रचलित शब्द
1	2	3
1	पिता	बाबा, बबा
2	माता	दाई
3	दादा (पिता के पिता)	आजा
4	दादी (पिता के माता)	आजी
5	पिता के भाई (चाचा)	काकु
6	पिता के बहन (बुआ)	फुफु दीदी
7	बड़ा भाई	दादा
8	बड़े भाई की पत्नी	भौजी
9	छोटा भाई	प्रायः नाम लेते हैं।
10	छोटे भाई की पत्नी	भाई बहु

11	बड़ी बहन	दीदी
12	बड़ी बहन की पति	भाटो
13	छोटी बहन	प्रायः नाम लेते हैं। नोनी
14	छोटी बहन का पति	बहिन दामाद
15	पति का पिता	ससुर
16	पति का माता	सास
17	पत्नी का पिता	ससुर
18	पत्नी की माता	सास
19	पति का बड़ा भाई	कुरा ससुर/जेठ
20	पति के बड़े भाई की पत्नी	जेठानी
21	पति का छोटा भाई	दाव/देवर
22	पति के छोटे भाई की पत्नी	देरानी
23	पति की बड़ी बहन	डेढ़ सास
24	पति की बड़ी बहन का पति	दादा, नन्दोई भाई
25	पति की छोटी बहन	नोनी, ननद
26	पति की छोटी बहन का पति	नन्दोई भाई
27	पत्नी का बड़ा भाई	डेड़ साला
28	पत्नी के बड़े भाई की पत्नी	सरहज बहन
29	पत्नी का छोटा भाई	साला
30	पत्नी के छोटे भाई की पत्नी	सरहज बहन
31	पत्नी की बड़ी बहन	डेड़ सास
32	पत्नी की बड़ी बहन का पति	साढ़ू
33	पत्नी की छोटी बहन	साली
34	पत्नी की छोटी बहन का पति	साढ़ू
35	बहन का पुत्र	भाचा
36	बहन की पुत्री	भाची
37	माता का पिता	नाना
38	माता का माता	नानी
39	माता का भाई	ममा
40	माता के भाई की पत्नी	मामी
41	माता की बहन	मोसी
42	माता की बहन का पति	मोसा
43	पिता के छोटे भाई की पत्नी	काकी
44	पिता के बड़े भाई की पत्नी	बड़े दाई
45	पिता के छोटे/बड़े भाई का पुत्र	भतीजा

46	पिता के छोटे/बडत्रे भाई का पुत्री	भतीजी
47	पिता के छोटे/बड़े बहन का पति	फूफा
48	पुत्र की पत्नी	बहु
49	पुत्र का पुत्र	नाती
50	पुत्र का पुत्री	नतनीन
51	पुत्री का पति	दामाद
52	पुत्री का पुत्र	नाती
53	पुत्र/पुत्री का ससुर	समधी
54	पुत्र/पुत्री का सास	समधिन

6.4 परिवार :—

बैगा जनजाति में पितृवंशीय , पितृस्थानीय एवं पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था पायी जाती है। इनमें एकाकी परिवार की अधिकता है क्योकि विवाह के बाद जब विवाहित जोड़े प्रायः नये झोपड़े में रहते है। परिवार का मुखिया परिवार का वृद्ध व्यक्ति होता है। उसी के देखरेख एवं नियंत्रण मे परिवार के अन्य सदस्य अपने — अपने कार्यो को करते हैं। छोटे बच्चे भी अपनी क्षमता के अनुसार घर के कार्यो में सहयोग करते हैं। परिवार में संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है।

6.5 परिहास संबध :—

बैगा जनजाति में पति के बड़े भाई , पति के मामा , पत्नि की बड़ी बहन , एवं सास — ससुर के साथ परिहार संबंध पाया जाता है अर्थात् इन नातेदारो में हसी — मजाक करना वर्जित रहता है और प्रायः कुछ दूरी बनाकर एक — दुसरे से बात करते है। इस प्रकार की सामाजिक परम्परा का ये लोग कड़ाई से पालन करते है। यदि अनजाने में एक — दुसरे के नजदीक आ जाये तो भी इसे इस नियम का उल्लंघन मानकर दोषी से दण्ड स्वरूप कुछ रूपये और नारियल लिया जाता है।

6.6 परिहास संबंध :—

बैगा जनजाति में जीजा का साला — साली के साथ , नाती का दादी — नानी के साथ, नातिन का दादा — नाना के साथ, देवर का ''भौजी'' (भाभी) के साथ, समधी का समधिन के साथ परिहास संबंध पाया जाता है अर्थात् इन रिश्तो में एक — दुसरे के साथ हँसी — मजाक करने की परम्परा पायी जाती है।

बैगा जनजाति में मामा — फुफु के लड़का और लड़की के बीच बहुत ही रोचक परिहास संबंध

हमें छेरता नामक त्यौहार के समय दिखाई देता है। इसमें मामा – फुफु के रिश्ते में जिनके घर लड़की है वह खाना बनाने के बर्तन का जला हुआ काला पदार्थ जिसे **''कड़होन्ज''** कहते है इकट्ठा करके रखती है और इस रिश्ते में से जो लड़का उक्त त्यौहार के समय पम्परा अनुसार धान मागने आता है तो उसे इस काले पदार्थ को लगा कर उसके चेहरे को काला कर देती है जो इस रिश्ते के परिहास संबंध के महत्व को दर्शाता है।

इसी प्रकार रात में लड़कियाँ इकट्ठा किये धान को कूट – पीस कर चंदा (चांद) को खिलाने के लिए रोटी बनाते है उस समय लड़के कौआ बनकर रोटी चुराने का प्रयास करते है। कौआ बनकर आये लड़को को लड़कियाँ चुल्हे में जलती हुई लकड़ी से फेक कर मारने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार एक रोचक परिहास इनके बीच पाया जाता है।

अध्याय – 07
राजनैतिक – जीवन

सर्वेक्षित बैगा जनजाति परम्परागत नियमों को अत्यधिक महत्व देते हैं और इन नियमो को उल्लंघन करने वालो को सामूहिक रूप से दण्डित किया जाता है। दण्ड के रूप मे सबसे पहले अपराधी से सामुहिक रूप से माफी मंगवाया जाता है। माफी नही मांगने की स्थिति में सामाजिक बहिष्कार का दबाव बनाया जाता है। माफी मांग लेने की स्थिति में छोटे– मोटे अपराध के लिए माफ कर दिया जाता है। कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति , सामाजिक भोज भी लिया जाता है। प्रत्येक गांव में बैगा जनजाति का एक जाति पंचायत होता है, जिसे **''गांव पचोरी''** कहा जाता है। इसके मुखिया को **''मोकड़दय''** या पटेल कहा जाता है। इनके दो सहायक होते हैं, जिसे **''समरथ''** एवं **''देवान''** कहा जाता है। आस – पास के 12 गांवों को मिलाकर समाज का एक बड़ा पंचायत भी होता है जिसे **''मेडुबई (मेडु) पचोरी''** कहा जाता है।

संगठन का स्वरूप

बैगा जनजाति में सामाजिक संगठन का स्वरूप निम्नानुसार है :–

7.1 परंपरागत जाति पंचायत

बैगा जनजाति में परम्परागत जाति पंचायत को **''पंचोरी''** कहते हैं। यह परंपरागत नैतिक मूल्यों , धर्म , रीति – रिवाज विश्वास एवं मान्यताओं के आधार पर कार्य करता है। इनके नियम अलिखित है और परम्परागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो रहे है। वर्तमान में परम्परागत जाति पंचायत का सर्वेक्षित क्षेत्रो में निम्न स्वरूप प्रचलित है–

7.1.1 गांव पचोरी

बैगा जनजाति में ग्राम स्तर पर स्वजाति सदस्यों की एक पंचायत कार्यशील होती है जिसे गांव पचोरी कहा जाता है। इसके मुखिया को **मोकड़दम** या ''पटेल'' कहा जाता है। यह परम्परागत पद है परन्तु वर्तमान में कुछ ग्रामों में चुनाव द्वारा मुखिया का चयन होने लगा है। मुखिया के सहयोगी एवं सलाहकार को **''समरथ''** कहा जाता है, इसी प्रकार लोगों में

सूचनाओं के अदान – प्रदान करने के लिए एक और सहायक होता है जिसे देवान कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य ग्राम स्तर पर सामाजिक व्यवस्था बनाये रखना है। जैसे– इनके ग्राम में मनाये जाने वाले विभिन्न त्योहारों की तिथि निर्धारित करते हुए सभी सदस्यो की सहभागिता द्वारा सफलतापूर्वक सम्पन्न कराना है। इसी प्रकार ग्राम देवी देवताओं से संबंधित विभिन्न धार्मिक क्रियाकलाप, **जन्म, विवाह, मृत्यु** आदि जीवन संस्कार संबंधी सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता एवं संपन्न कराये जाने का दायित्व का निर्वहन भी इनके द्वारा किया जाता है। साथ ही आपसी विवादो का निपटारा करना , विवाह संबंध विच्छेद या अंतर्जातीय विवाह **''कनटूटी''** (कान के छेद का टूट जाना), गौ हत्या, घाव में **''मछिया'' / ''फूल पड़ जाना''** (कीड़ा पड़ना) आदि मामलो का निपटारा करना आदि इनका प्रमुख कार्य है।

7.2 जिला स्तरीय जाति पंचायत

वर्तमान परिवेश में इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि चुने जाते है। इनका कार्य वृहद स्तर पर होता है और कार्य का स्वरूप शासन के योजनानुरूप होता है। जिसमें समाज के हित में सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक उत्थान एवं शैक्षणिक विकास के मुद्दों पर बल दिया जाता है। साथ ही ऐसे सामाजिक मामले जिनका ग्राम स्तर पर निर्णय न किया जा सका हो उनकी सुनवाई एवं निर्णय करने का कार्य इस पंचायत द्वारा किया जाता हैं।

7.2.1 मेड़ुवई (मेड़ु पचोरी)

आसपास के 12 गांवों को मिलाकर एक बड़ा पंचायत भी कार्यशील होता है जिसे **''मेड़ुवई''** (मेड़ु) पचोरी कहते हैं। इसमें भी गांव पचोरी के समान ही मोकड़दम (पटेल), समरथ एवं देवान के पद होते हैं। उक्त सभी पद वंशानुगत होते हैं। इस पंचायत द्वारा **''गांव पचोरी''** में अनिराकृत मामलों का निराकरण किया जाता है। समाज से बहिष्कृत लोगों को समाज में पुनः मिलाने के लिए एक पारंपरिक विधि पाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से **''कुरहा बताल''** की मुख्य भूमिका होती है, जिसके द्वारा बहिष्कृत व्यक्ति के परिवार को पुनः **''कुरा''** या समाज में मिलाने का समाधान एवं आवश्यक सामाजिक दण्ड निर्धारित किया जाता है।

अध्याय – 08
लोक – परम्परा

बैगा जनजाति अपनी विशिष्ट लोकगीत एवं लोकनृत्य के लिए जानी जाती है। प्रायः सभी त्यौहार , जन्म , विवाह एवं अन्य उत्सव आदि अवसरों पर गीत गाते हुए नृत्य किया जाता है। इस अवसर पर इनके द्वारा विशिष्ट वस्त्र – आभूषण एवं श्रृंगार किया जाता है।

8.1 नृत्य परिधान :–

बैगा जनजाति के पुरूष एवं महिलाए नृत्य करते हुए विशिष्ट आभूषण एवं परिधान पहनते है जिसका नाम इस प्रकार है।

पुरूष का वस्त्र :–

1. बंडी
2. झंगा धोती
3. जाकेट
4. छीट

पुरूष का आभूषण :–

1. बीरन माला
2. छुटा माला
3. पैजना

महिलाओं का वस्त्र :–

1. बेगरा फरिया
2. फेटा

महिलाओं का आभूषण :–

1. खोपिया फूंदरा
2. मूंगा माला
3. छूटा माला
4. बीरन माला
5. बलंगी
6. छीट
7. चुड़ा

8.2 वाद्ययंत्र :–

बैगा जनजाति के पुरूष एवं महिलाएँ नृत्य करते हुए निम्नांकित वाद्ययंत्र बजाते है।

पुरूषों के वाद्ययंत्र :–

1.मांदर
2.टीमकी
3.बासुरी
4.टीसकी

महिलाओं के वाद्ययंत्र :–

1.टीसकी

8.3 प्रमुख लोकगीत एवं लोकनृत्य :–

बैगा जनजाति द्वारा लोकगीत एवं लोकनृत्य गाने एवं नृत्य की तैयारी व अभ्यास सावन माह में मनाये जाने वाले हरेली त्यौहार के दिन से किया जाता है। यह नृत्य दशरेली नाच तक चलता हैं । बैगा जनजाति मे दशरेली नाच का विशेष महत्व है। यह नाच दशहरे के समय एक माह तक किया जाता है जिसमें एक गांव के लड़के या लड़कियों का समूह दूसरे गांव लड़के एवं लड़कियो के समूह के साथ नृत्य करते हैं। बैगा जनजाति में प्रचलित प्रमुख लोकगीत लोकनृत्य इस प्रकार हैं।

1. रीना

इस लोकगीत को मुख्य रूप से **''दशरेली नाच''** के समय गाया जाता है। यह महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। इसमें महिलाएँ दो समूह बनाकर गीत के द्वारा सवाल – जवाब करते हैं जब कोई समूह पूछे जाने वाले सवाल का जवाब नही दे पाते है तो गीत समाप्त हो जाता है। इस गीत की कुछ पक्तियां इस प्रकार है।

री , री , रीना , रीना , री , री , रीना त्र

पहला समूह :–

दू लईया के गोड़ छूठकी ।
देश – देश आना गयो , गोड़ छूटकी।।
री , री , रीना , ...
दू लईया के गोड़ चुरवा।
देश – देश ना गयो उनी राज ।।
ठाकुर सिंह केश दहरिया ।।
री , री , रीना ....

दूसरा समूह :–

पहले फिर से इन पक्तियों को दोहराते है फिर इस प्रकार गाते है। ..

री , री , रीना , रीना , री , री , रीना री , री , रीना ,
दवा झाल झूमर वाड़े ,
चलता दवा हाट के बाजार ,
चुटकी पहिर आबो ,
रमकत आबो , झमकत आबो ,
झम झिरिया के पानी पीबो ,
नई आये चिन्हारी,
दवा झाल झुमर वाले ।।

(छुटकी = मुंदी , चुरवा = चुड़ा , ठाकुर सिंह = ठाकुर देव , रमकत – झमकत = सज – धज के)

माय रीना गीत :–

जब लड़के या लड़कियो का समूह तैयार होकर दशरेली नाच कि लिए दूसरे गांव में जाने के लिए अपने घर से निकलते है उस समय घर की माताओं द्वारा गीत गाया जाता है। उसे माय – रीना गीत कहते है।

टिका रीना गीत :–

जब लड़के या लड़कियों का समूह उन्हे आमंत्रित किये गये गांव में पहुच जाते है, तो गांव मे अपने पहुँचने की सूचना देते हैं, तो उस गांव के बुर्जुग महिलाओं द्वारा टिका लगा कर उनका स्वागत करते है और स्वागत करते समय बुजुर्ग महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे **''टिका रीना''** गीत कहते है।

रीना नृत्य के लिए यदि दूसरे गांव से लड़कियों को आमंत्रित किया गया है, तो गांव के लड़के इस नृत्य में शामिल होते हैं। इस गांव की लड़कियाँ नृत्य में फिर शामिल नही होती है। इसी प्रकार यदि दूसरे गांव से लड़को को आमंत्रित किया गया हो तो आमंत्रित किये गये गांव की लड़कियाँ नृत्य मे शामिल होती है। इसमे इस गांव के लड़के नृत्य में शामिल नही होते हैं। जब तक आमंत्रित किये गांव के नृत्य दल तैयार होते है। तब तक दूसरे गांव से बुलाये गये नृत्य दल दो – चार घर के आंगन में जाकर रीना गीत गाने लगते है। जब सभी लोग तैयार हो जाते है तो एक जगह लड़के एवं लड़कियों के समूह को बैठाकर जोड़ी बनाते है, जिसे **''बार = पैठना''** (बराबर बैठना) कहा जाता है। इसके बाद सभी मिलकर गोल – गोल घूमकर गीत गाते हुए नृत्य करते है। समूह के बीच में गीत गाने वाले एवं वाद्ययंत्र बजाने वाले रहते है।

करमा :—

बैगा जनजाति के लोग बताते है कि यह अन्य जनजाति द्वारा करमदेव रूपी करम डाल गाड़ कर किये जाने वाले करमा गीत एवं नृत्य से अलग है। इनके अनुसार धरती — आकाश को गवाह रख कर अपने जीवन के बारे में वृतांत बताते हुए गीत गाते है कि वे किस प्रकार पैदा हुए, कैसे खाना मिला और किस प्रकार इसकी खुशी मनाते है। यह गीत महिला एवं पुरूष दोनों मिलकर गाते हैं। गीत की कुछ पक्तियाँ इस प्रकार है—

कोने बनाये धरती पताल लो ,
कोने लगाये रूखे राई ,
कोने खोजे हे अगिन देव ल ,
जीवन संगी सोच लिहौ रे , ।।

नागा बैगा बनाईस धरती पताल लोक ,
दीदी लगवाय रूख राई ,
बैगा खोजे हे अगिन देव ल ,
जीवन संगी सोच लिहौ रे , ।
नागा बैगा पाये हे अगिन देव ल ,
जीवन संगी सोच लिहौ रे , ।।

1. पत्थर ल टकरा के अगिन ल खोजिन रे ,
लकड़ी में मथना मथाय ,
बैगा पाये है, अगिन देव ल ,
जीवन संगी सोच लिहौ रे , ।।

2. झपेटा करमा :—
बइसो रे सुग्घर डार ,
बइसो रे डार सुग्घर डारे ,
टोर ले बे जामटार, आधारे हिलाये ,
बइसो रे सुग्घर डाड़ , ।।

3. झुलनीपार :—
हाय धोती चोरी हो गे राम ,
सड़क किनारे बंगला के ,
धोती चोरी होगे रे ,
हाय रे , हाय रे ,
धोती चोरी होगे राम ।
आना जर गे, थाना जर गे, जर गे कारखाना ,

बाबूजी के टोपी जरगे, पड़गे जुरबाना ,
हाय राम धोती चोरी हो गे राम , ।
हाय गाले हे ल साफी –2
जीवन भर के साथी, मरे म माटी रे ,
सांगै म हे दायी, सांगै म हे भाई ,
सांगै म हे लाखो परिवार, ले ह ल साफी ,
जीवन भर के साथी, मरे म माटी रे ।।

4. झरपट :–

यह बैगा जनजाति द्वारा गाये जाने वाला लोकगीत है जो मुख्यतः **''दशरेली नाच''** के समय नव युवक – युवतियो द्वारा गाया जाता है। इन गीतों मे प्रेम और श्रृंगार का भाव प्रधान होता है। दशरेली नाच में लोकगीतों का क्रम इस प्रकार है – सबसे पहले माय रीना गाया जाता है। उसके बाद टिका रीना गाया जाता है, फिर युवक – युवतियों द्वारा रीना गाया जाता है। इसके बाद रातभर करमा गाया जाता है और सुबह होते – होते **''झरपट''** नामक लोकगीत गाया जाता है और अंत मे **दधरिया** गाया जाता है। झरपट नामक लोकगीत के कुछ पक्तियाँ इस प्रकार है –

1. बंशी रे डंगनी रे – 2
लिझ लिझी नवा रे ।
भैसाडबरा ठेगही लड़की ,
लिझी लिझी नाव रे।।

भावार्थ :–

(1) जिस प्रकार मछली पकड़ने की बंशी (डंगनी) लिझ लिझ (लीच – लीच) करता है। उसी प्रकार से भैसाडबरी (भैसाडबरी नामक ग्राम) की लड़कियां भी लिझ – लिझ कर नाच रहें है।

(2) जाता ऊपर सल चढ़े आधा नांगर जोतय रे –3 (लड़का – लड़की दोनों) जाता ऊपर सील चढ़े आधा नांगर जोतय रे,
आव नांगरिहा पेज पीऊ
यो लड़का रूठी घुठी
एकौ सूठी मारे रे
झबेली के कनिहा उड़ावे कोदो भुसा रे।।

भावार्थ :–

जिस प्रकार जाता के ऊपर सील (नमी) चढ़ जाने से पीसाई नही हो सकता उसी प्रकार खेत में पानी ज्यादा होने पर आधा जोत के छोड़ दिया जाता है। इसलिए नगरिहा (हल चलाने वाला) आकर पेज खा लो –

जो लड़का – लड़की एक दुसरे से रूठे रहते है
वह एक लाठी मारने के समान लगता है
सुन्दर नारी अपने कनिहा (कमर) से कोदो भुसा उड़ा रही है।

5. ढ़ोल नाचना :–

यह भी मुख्यतः दशरेली नाच के समय किया जाने वाला नृत्य है। इसमें लड़कियो द्वारा रीना गाने से पहले लड़को द्वारा ढोल बजा कर नृत्य किया जाता है। इसमे कोई गीत नही गाया जाता है। जब एक शब्द '' कर्री'' कहा जाता है उसके बाद सभी गोल घुमने लगते है। और नृत्य करना आरंभ करते है। इसमें मुख्यतः पाच अलग अलग भाव में नृत्य किया जाता है।

6. दधरिया :–

यह लोकगीत मुख्य रूप से दशरेली नृत्य के समय अंत मे गाया जाता है। इसके अलावा विवाह के अवसर पर भी दधरिया गाया जाता है। इसी प्रकार फुरसत के समय हो या हाट बाजार जाते समय रास्ते में या काम करते हुए भी दधरिया गाया जाता है।
इसमें सवाल – जवाब के अंदाज में लड़का एवं लड़की बारी – बारी से गीत गाते है। कुछ पक्तियाँ इस प्रकार है –

रामे ल बंदौ , श्यामे ल बंदौ –2
सातो समाते ल बंदौ
बंदौ में तोही ल , साते समाजे ल बंदौ ।।
खावे तो बीरा पान , दूरिहा ले नई जवारा ,
झोकय ले सीता राम , दूरिहा ले नई जवारा , ।।

भावार्थ :–

भगवान के सुमरत – सुमरत (जोहार) मुझं भी अच्छे से जोहार किये तो मै भी तुम्हे अच्छे से जोहार करता हूँ ।

छुलई तो खुरा , मैं का जानव नई जवारा
नाना सा टुरा , मैं का जानव नई जवारा

भावार्थ :–

तुम लोग बड़े – बड़े लड़की हो और मै छोटा सा लड़का हूँ मै क्या जानूंगा।

7. गीतकारिन गीत :–

यह मुख्य रूप से विवाह के समय गाया जाता है। विवाह के अवसर पर जब नृत्य किया जाता है। उस समय एक दो महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से गीत गाया जाता है जिसे गीतकारिन (गीत गाने वाली) कहा जाता है और उसके द्वारा गाये जाने वाले गीतों को गीतकारिन गीत कहा जाता है।

शम्मी आबिदी (आई.ए.एस.)
संचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर (छ0ग0)

संचालनालय आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

फोन : 0771-2960530, E-mail : trti.cg@nic.in, web. : www.cgtrti.gov.in